SYLLABUS

Class – B.Com. V Sem. (Hons.)

Subject – हिन्दी

UNIT – I	भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज व्यवसाय, सभ्यता एवं संस्कार, वैश्विक चेतना, समन्वयीकरण (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में)
UNIT – II	धर्म, न्याय, दर्शन, नीति, साहित्य।
UNIT – III	संचार संसाधन – सम्पर्क के नए क्षितिज, समाचार–पत्र, भारतीय प्रेस परिषद्, रेडियो, दूरदर्शन।
UNIT – IV	सिनेमा, रंगमंच, संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापना कला, शिल्प कला।
UNIT – V	कम्प्युटर, दूरभाष : विज्ञान की सौगात, मंत्र (कहानी) : प्रेमचंद, मातृभूमि (कविता) : मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार का दायित्वः डॉ. प्रेम भारती।

renaissance
renaissance
renaissance

इकाई-1

भारतीय संस्कृति

संस्कृति एक पारिभाषिक शब्द है इसकी शब्दगत व्युत्पत्ति है सम्+कृ+क्तिन् संस्कृति। अर्थात् कृ धातु से क्तिन प्रत्यय और सम् उपसर्ग लगाने से 'संस्कृति' शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है– परिमार्जन अथवा परिष्कार।

परिभाषाएँ–

ह्वाइट के अनुसार– ''संस्कृति एक प्रतीकात्मक निरन्तर संचयी एव प्रगतिशील प्रक्रिया है।''

पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार– ''संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आन्तरिक विकास और उसकी नैतिक उन्नति है। पारस्परिक सद्व्यवहार है और एक–दूसरे को समझने की शक्ति है।''

भारतीय संस्कृति के भेद–

1. **आधिभौतिक संस्कृति**
2. **भौतिक संस्कृति**

भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ–

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों मे से एक है– भारतीय संस्कृति । वैदिक साहित्य में भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है । वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं । **''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' और ''वसुदैवस्य कुटुम्बकम''** की भावना से भारतीय संस्कृति आच्छादित रही है। योग, संयुक्त परिवार प्रणाली, आध्यात्म, गुरूओं का सम्मान, विश्व शांति जैसी सांस्कृतिक विशेषताएँ भारत को अन्य संस्कृतियों से पृथक कर श्रेष्ठ स्थान प्रदान करती है । भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है :–

1. **प्राचीनतम संस्कृतियों मे से एक** :– भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ इसकी प्राचीनता है। हड़प्पाकालीन समय, वैदिक काल इस बात के प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति मे से एक है विश्व की संस्कृतियाँ जहाँ परिवर्तित होती रही। उनके उत्थान और पतन होते रहे किंतु भारतीय संस्कृति यथावत् है।
2. **स्थायित्व** :– भारतीय संस्कृति का प्रमुख गुण उसका स्थायित्व होना है। भारतीय संस्कृति में जो गुण, संस्कार, रीति–रिवाज प्राचीन समय से विद्यमान थे। वे यथावत् है अर्थात् संस्कारों की स्थायित्व भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है।
3. **सहिष्णुता** :– सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विशेषता में सर्वप्रमुख है। भारत में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, रीति–रिवाज के लोग रहतें है। उन सबमे पृथकता होते हुए भी एकरूपता है। अनेक सांस्कृतिक आक्रमण का सामना करते हुए भी भारतीय संस्कृति ने आक्रमणकारी संस्कृतियों के गुणों को ग्रहण किया है।
4. **बहुकोणीय व्यवस्था** :– भारतीय संस्कृति बहुकोणीय व्यवस्था पर आधारित रही है । जो **वर्ण व्यवस्था,** श्रम विभाजन, पुरूषार्थ, आश्रम व्यवस्था जैसे जीवन के सभी पक्षों का प्रकटीकरण है। पुरूषार्थ के अंतर्गत **धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष** के सिद्धान्त दिए गए है । इसमें व्यक्ति तथा समाज की धार्मिक, आर्थिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक समस्याओं और आदर्शो का निरूपण पाया जाता है। वही आश्रम व्यवस्था सुव्यवस्थित जीवन प्रणाली का आधार रही है।
5. **लचीलापन** :– भारतीय संस्कृति का प्रमुख गुण लचीलापन भी है। लचीलापन होने के कारण वह स्वयं को सुरक्षित बनाए हुए है। यह परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। विभिन्न संस्कृतियों के मेल को भी इसने लचीलेपन के कारण आत्मसात् किया है।
6. **कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धान्त** :– भारतीय संस्कृति कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते है। अच्छे कर्म अच्छा परिणाम दे सकते है। यह विचारधारा मनुष्य को सदैव अच्छे कर्मो हेतु प्रेरित करती है।
7. **ऋण व्यवस्था** :– भारतीय संस्कृति ऋण व्यवस्था से जुड़ी है अर्थात् मानव जाति पितृऋण, देवऋण, ऋषिऋण, गुरूऋण, अतिथि ऋण इत्यादि से जुड़ा है। भारतीय संस्कृति का यह गुण मनुष्यों को उसकी कर्त्तव्यपरायणता से जोड़ता है।
8. **अनेकता में एकता** :– अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण है। भारत में अनेक धर्मों, जातियों, रीति–रिवाजों, जनजातियों और भाषाओं के होते हुए भी यह एक राष्ट्र है।

भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पन्दन मात्र भारत भूमि तक ही सीमित नही वरन् इसने विष्व को मानवता की राह दिखाई है। भारतीय संस्कृति में निहित है :–

असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय

3. भारतीय समाज व्यवस्था–

आश्रम व्यवस्था

भारतीय समाज आश्रम व्यवस्था से जुड़ा था। सामान्यतः मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। 25–25 वर्ष की यह अवधि क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यास आश्रम पर आधारित थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक आश्रम में रहकर शारीरिक, मानसिक, और मनौवैज्ञानिक शिक्षा गुरू से प्राप्त करता था। गृहस्थ आश्रम की अवस्था की अवस्था 26 से 50 वर्ष की होती थी इसमें व्यक्ति, विवाह एवं अजीविका से जुड़ता था। गृहस्थ कार्यों में प्रवीण होता था। तृतीय अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती थी । इसमें व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त होकर किसी एकान्त स्थान पर कठोर साधना में जुट जाता था। अंतिम अवस्था सन्यास अवस्था थी इसमें व्यक्ति जीवन में अंतिम 25 वर्ष में मृत्यु से पूर्व मनः स्थिति तैयार करता था एवं मोक्ष हेतु सन्यास ले लेता था।

वर्ण व्यवस्था

वैदिककालीन भारतीय समाज वर्ण और जातियों में बंटा हुआ था। पुरूषार्थ के आधार पर ये वर्ण –

1. ब्राह्मण,
2. क्षत्रिय
3. शुद्र
4. वैश्य थे।

बाद में वैश्यों को तृतीय क्रम पर व शुद्रों को चतुर्थ क्रम पर स्थापित किया गया। भारतीय समाज में ये वर्ण मानव की भौतिक बौद्धिक क्षमताओं व कर्म पर आधारित थे। ब्राह्मणों का कार्य पूजा–पाठ एवं कर्मकाण्ड था। क्षत्रियों का कार्य राजकार्य संचालित करना एवं सुरक्षा था। वैश्यों का कार्य व्यापार व्यवसाय संचालित करना था एवं शुद्रों का कार्य सेवा करना था।

सभ्यता और संस्कार

सभ्यता – सभ्यता बाह्य वस्तु है, जिसमें मनुष्य की भौतिक प्रगति में सहायक सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियाँ सम्मिलित होती है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता के नाम से जाना जाता है।

संस्कार

संस्कार का अर्थ परिष्कार एवं परिवर्तन है। भारतीय मनीषियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर हमारी संस्कृति में सोलह संस्कार स्थापित किए ये संस्कार थे।

1. गर्भाधान
2. पुसंवन
3. सीमंतोन्नयन
4. जातकर्म
5. नामकरण
6. निष्क्रमण
7. अन्न प्राशन
8. चूड़ाकर्म या मुंडन या चूड़ाकरण
9. कर्णछेदन
10. यज्ञोपवीत या उपनयन
11. विद्यारम्भ
12. प्रत्यावर्तन
13. विवाह
14. सर्व संस्कार या वानप्रस्थ
15. संन्यास
16. अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार

4. वैश्विक चेतना

वैश्विक चेतना : ज्ञान के धरातल पर सम्पूर्ण विश्व को एक सामान्य दशा में एक साथ लाने के उपक्रम को "**वैश्विक चेतना**" कहते हैं। वैश्विक चेतना का आधार वे मान्यताएँ होती हैं जो सार्वभौमिक एवं वैज्ञानिक तर्कों के जरिये ऐसी स्थापनाएँ प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें सभी स्वीकार कर सकें । विगत कुछ दशकों से वर्तमान परिदृश्य में सांस्कृतिक बोध के नाम पर धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पद्धतियों में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन हुआ है । आठवें दशक के उत्तरार्द्ध से सम्पूर्ण विश्व में भूमण्डलीय संस्कृति के अस्तित्व में आने से एक नए प्रकार की स्वतंत्रता, समानता एवं जनतंत्रात्मक व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसे **आर्थिक नव–उदारवाद** कहा गया। यह नव–उदारवाद पूँजीवाद एवं जनतंत्र, का मिला–जुला रूप था। भूमण्डलीय संस्कृति में विचार–सूचना, मूल्य और आधुनिक रूचियों का प्रवाह निरन्तर जारी है। आज सूचना एवं संचार क्रांति ने सम्पूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है।

वैश्विक चेतना का दार्शनिक आधार–

मानवीय चेतना की पहचान एक जटिल समस्या हैं दर्शन का आधार मूलतः मानवीय चेतना ही है । समसामयिक नई थ्योरी ;दर्शनद्ध में मनुष्य, चेतना, स्वचेतन, आत्मतत्व, निज, अस्मिता, अस्तित्व, अहम्, बुद्धि, आत्मा, चित्, निरपेक्ष तत्व आदि शब्दों का अब प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी शब्दों या पदबन्धों में कोई–न कोई पराभौतिक संकल्पनाएँ शामिल हैं । अर्थात् जब हम मनुष्य कहते हैं तो मनु अथवा आदम की संकल्पनाएँ उसके साथ जुड़ जाती हैं और व्यक्ति की सही पहचान धूमिल हो जाती हैं । नए दर्शन में मनुष्य की अवधारणा को सब्जेक्ट अथवा व्यक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है । सब्जेक्ट या सब्जेक्टविटी शब्द में शुद्धता है एवं किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है ।

मानवीय चेतना के सम्बन्ध में यह मान्यता थी कि विश्व के केन्द्र में कोई–न–कोई तत्व अस्तित्ववान है । उसे चाहे विश्वात्मा कह लें अथवा नियामक तत्व नव जागरण काल में देकार्त ने मानव चेतना को ही केन्द्र में स्वीकार किया । कांट और हीगेल जैसे दार्शनिकों ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया । सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी में देकार्त ने यह घोषणा की कि – I think therefore I am किन्तु आधुनिक दर्शन ने इस सिद्धान्त को उलट दिया । कहने का आशय नई वैश्विक चेतना में सबसे अधिक मनुष्य का अपकेन्द्रण हुआ है ।

वैश्विक चेतना का उद्देश्य –

मीडिया, सूचना तंत्र, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट एवं जन संचार क्रान्ति ने विश्व की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की है । अमेरिका जहाँ मीडिया या संचार को एक क्राफ्ट ;व्यावसायिक पाठ्यक्रमद्ध के रूप में वरीयता देता है वहीं इंग्लैण्ड की स्पष्ट मान्यता है कि इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं भूगर्भशास्त्र इत्यादि को भी शामिल किया जाए । यूरोप के अधिकांश देशों में मीडिया का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व मीडिया का मनोविज्ञान जैसे अन्तरविषयक पाठ्यक्रमों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।

भारत में संचार शिक्षा का आरम्भ प्रो. पृथ्वीपाल सिंह ने किया। भारत में जनसंचार शिक्षा का विकास अमेरिका की तर्ज पर ही अधिक हुआ है।

मीडिया अथवा संचार के कारण समाज का परम्परागत स्वरूप बदल गया है। परिवार, विवाह, धर्म, ने नए रूप ले लिए हैं। जनसंचार पहले जहाँ समाज और राष्ट्र तक सीमित था, अब उसका क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। उसमें बहुसामाजिकता, बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिकता और बहुराजनीतिक दृष्टिकोण शामिल हो गए है। जनसंचार माध्यमों ने एक किस्म की जीवन–शैली विकसित कर ली है जिसमें वर्ग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर समाज के विभेदीकरण की स्थिति नहीं रह गयी है। विश्व का हर व्यक्ति सूचना पाने का अधिकारी है। मीडिया का यह सकारात्मक पक्ष निःसन्देह सामाजिक एवं मानवीय हित से जुड़ा हुआ है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में संचार संसाधनों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आवश्यकता इस बात की है कि यह शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन शैली के विविध मापदण्डों का निर्धारण कैसे करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। कोई भी जन माध्यम समाजिक सरोकारों से अलग नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम को किस तरह वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित और परिवर्द्धित करें। जनसंचार के अध्ययन के लिए केवल संचार के सिद्धान्तों का पठन–पाठन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सूचना क्रान्ति के फलस्वरूप आये नए तकनीकी उपकरणों के उपयोग की क्षमता को भी विकसित करना जरूरी है। इसके अलावा भाषा और समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यावहारिक परिवर्तन आये हैं, उनका अनुसंधान करना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समाज में संचार के लिए बदली हुई भाषा और बदले हुए सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना ही इसके स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करेगा।

वैश्विक चेतना बनाम तकनीकी क्रांति –

पश्चिम के सुप्रसिद्ध विचारक **एलैल** ने अपनी महत्वपूर्ण कृति **'द टेक्नोलाजीकल सोसाइटी'** में तकनीक और मशीन में अंतर किया है। **एलैल** के अनुसार – **"तकनीक हमारे युग का चेहरा है। यह बीमार चेहरा है। यही बीमार चेहरा**

आज का नायक है। मनुष्य के निर्णयों का नायक मनुष्य नहीं है बल्कि तकनीक है।'' सामाजिक जीवन में तकनीक का निर्णायक असर स्तरीकरण में देखा जा सकता है। स्तरीयकरण का अर्थ है – किसी संगठन या प्रक्रिया की तमाम समस्याओं को शुरू करने से पहले ही हल कर लेना। **ममफोर्ड** इसे उत्पादों का स्तरीकरण कहते हैं। एलैल के अनुसार आधुनिक तकनीक की पाँच बुनियादी विशेषताएँ हैं –

क. स्वगतिमयता, **ख. स्व–विस्तार** **ग. एक–केन्द्रता,**
घ. सार्वभौमिकता तथा **ड़ स्वायत्तता।**

वर्तमान तकनीकी क्रांति की ये पाँचों विशेषताएँ ऐसे आधार बिन्दु हैं जिनके माध्यम से हम वैश्विक चेतना को स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे पारिवारिक/सामाजिक जीवन से लेकर राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन तक हर जगह तकनीक अपनी उपस्थिति का अहसास कराती है। सरकारी गैर सरकारी योजनाएँ, शासन तंत्र, व्यापार, व्यवसाय सबमें तकनीक की भूमिका दिखाई देती है। तकनीकी क्रान्ति ने तथाकथित आधुनिकता को पीछे छोड़ दिया है। यह उत्तर आधुनिकता का समय है। सम्पूर्ण विश्व में इस पर बहसें जारी हैं। कुछ विद्धानों का मत है कि वैज्ञानिक उन्नति से मानवीय उत्कर्ष का सपना पूरा नहीं हुआ, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी परिवर्तनों से समाज देखते–ही–देखते मीडिया समाज या तमाशा सोसाइटी (Spectacle Society) में परिवतर्तित हो गया। नई व्यावसायिक कार्य पद्धतियों ने उपभोक्तावाद के ऐसे रूपों को उत्पन्न कर दिया जिनकी कल्पना भी पहले नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार कम्प्यूटर दिमाग ने ज्ञान के स्वरूप एवं आवश्यकता को बदलकर रख दिया। अब ज्ञान प्राप्ति की पुरानी मान्यताएँ बेदखल हो चुकी है। वैश्विक धरातल पर इस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण को उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जाना जा रहा है।

5. समन्वयीकरण (भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में)

भारतीय संस्कृति

भारत की अजर–अमर संस्कृति का संबंध शिष्टाचार और मस्तिष्क के प्रशिक्षण से है। संस्कृति उन सूक्ष्म तत्वों से संपर्क रखती है, जिसे विचार, विश्वास, रूचि, कला एवं आदर्श के रूप में देख सकते है। भारतीय संस्कृति भावात्मक एकता का आधार है। भारतीय संस्कृति की कहानी एकता, समन्वय, समाधानों एवं प्राचीन परम्पराओं के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है रामधारी सिंह 'दिनकर' के शब्दों संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को लेकर अपनी ताकत बढ़ाई है'' भारतीय संस्कृति मानव के मानवीय एवं आध्यात्मिक विकास की अभिव्यक्ति है। संस्कृति मन और आत्मा की आंतरिक अवस्था है। मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति ही है। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास करना है। संस्कृति मनुष्यता को जन्म देकर मनुष्य के स्वरूप का निर्माण करती हैं कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति, विज्ञान सभी संस्कति के अंग है और यही मानव सृजनता के विविध रूप भी है। भाषा, संगीत, नृत्य रंगरूप उसके विविध माध्यम है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मो के प्रति आदर और सहिष्णुता की भावना विद्यमान है। स्मिथ के अनुसार ''भारत में रक्त, रंग, भाषा, वेशभूषा, रीतिरिवाज की अखंख्य विविधतायें होते हुए भी आधारभूत एकता पायी जाती है।'' भारतीय संस्कृति मानव के मानवीय एवं आध्यात्मिक विकास की अभिव्यक्ति है। इन सभी विशेषताओं के कारण संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृति माना गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय एवं समन्वीकरण के संदर्भ

भारत औद्योगिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। मानव जहाँ एक ओर सामाजिक प्राणी है, वहीं दूसरी ओर वह उद्योग प्रधान प्राणी भी है। मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए उसे सक्रिय उद्योगशील होना अनिवार्य है। औद्योगिक व्यवस्था के आधार स्तंभ भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और विशेषीकरण, आधुनिक उद्योगों में महती भूमिका निभाते हैं। उद्योग के समुचित संगठन से उत्पादन क्षमता की वृद्धि हाती है। आज मशीनी युग अपने साथ उपरिमित शक्ति एवं साधन लेकर आया है। औद्योगिक क्रांति के युग में कुटीर उद्योगों का अंत हो गया। गांधीजी के विचार से बड़े पैमाने के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देकर विशालकाय मशीनों के उपयोग को रोका जाये तथा छोटे उद्योगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएँ उत्पादित की जायें। औद्योगिक विकास की योजनाओं में कुटीर उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच एक समझौता हो जाये और वर्तमान शिक्षा प्रणाली औद्यागिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध आरंभ होने तक औद्यागिक विकास हुआ। वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका प्रमुख उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना था। इसके फलस्वरूप इस योजना काल में भिलाई, दुर्गापुर, रांची जैसे इस्पात के बड़े–बड़े कारखाने स्थापित किये गये इसके बाद प्रत्येक आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों का विकास को प्रोत्साहन मिला। अतः भारत में औद्योगिक विकास ने एक नई सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना को जन्म दिया।

साहित्य मानव और समाज

साहित्य संस्कृति की देन है। सद्वृतियाँ ही जीवन को मंगलमय बनाती हैं और साहित्य का कार्य इन सद्वृत्तियों को जगाना होता है। साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क है। साहित्य की सफलता इसी में है कि वह समाज के लिए उपयोगी हो।

साहित्य से ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं ने जनता को बहुत प्रेरणा दी। कबीर की रचनाओं ने धार्मिक क्षेत्र में फैली अन्धविश्वास पूर्ण भावनाओं को समाप्त किया। तुलसी की 'रामचरितमानस' से जनता आज तक प्रेरणा ले रही है। इस प्रकार साहित्य अतीत का गौरव याद दिलाने के रूप में उपयोगी है।

धर्म तथा मानव जीवन

धर्म मस्तिष्क की चिंताओं का हल है। धर्म जीवन की निश्चितता लाता है, धर्म सामाजिक व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। धर्म सामाजिक आदर्शो व प्रथाओं का संरक्षण प्रदान करता है। धर्म सम्यता का पथ हैं धर्म विश्व में शांति के कारणों की सहायता करता है और धर्म मानव में मानवीयता का संस्थापक है। धर्म में मानवीय कार्यो को निर्देशित व नियंत्रित करने की क्षमता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। धर्म दो तत्वों पर आधारित है। यह मनुष्य मनुष्यों के बीच संबंधो पर जोर देता है।

कुटीर उद्योग

सामान्यतः कुटीर उद्योगों से आशय छोटे स्तर के ऐसे उद्योगों से है, जो बहुत कम पूँजी से तथा बहुत स्थान पर जैसे कि घरों में संचालित किये जाते हैं। ऐसे उद्यागों का सामान्यतः परिवार के सदस्य ही संचालित करते है यदि जरूरत पड़े तो एक–दो व्यक्ति बाहर के भी लगाये जाते है। कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत छोटे स्तर की वस्तुएँ ही बनाई जा सकती हे और वह भी सीमित मात्रा में । जैसे–घरों में अगरबत्ती बनाना, झाड़ू व चटाई बनाना आदि।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने कुटीर उद्योग आज समाप्त हो रहे है। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों का उद्देश्य अपने यहाँ बने उद्योगों का माल भारत में खपाना था, तो आज के युग में कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना हमारे उद्योगपतियों का उद्देश्य है। इसके साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें उद्योगो की शिक्षा न देकर केवल आधनिक औद्योगिक प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा देते हैं। पूँजी का आभाव और बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता के चलते भारत में कुटीर उद्योग पिछड़ी अवस्था में है।

मानव और संस्कृति में अन्तर्सम्बन्ध है

मानव और संस्कृति में गहर संबंध है। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य मानव की शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का विकास करना है। कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति, विज्ञान सभी संस्कृति के अंग है और यही मानव सृजन के विविध रूप हैं।

renaissance
renaissance
renaissance

इकाई–2

1. धर्म

धर्म की अवधारणाः

प्राचीन काल से ही मनुष्य के भीतर प्राकृतिक घटनाओं एवं लोकोत्तर शक्तियों के प्रति विश्वास की प्रवृत्तियाँ रही है। यह विश्वास कभी भय, कभी आस्था तो कभी समर्पण के रूम में मानव द्वारा स्वीकृत होता रहा है। मानवीय शक्ति से श्रेष्ठ विश्व बन्धुत्व का भाव और सबसे श्रेष्ठ ईश्वर को माना जाता रहा है। धर्म की शरूवात मनुष्य से होती है और उसकी परिणति ईश्वर में। मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु का कार्य धर्म ही करता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम है।

भारतीय चिन्तन में धर्म के दो कार्य बताये गए है– 'कर्म' और अध्यात्म'। कर्म का सम्बन्ध संसार से है और अध्यात्म का ईश्वरीय चेतना से।

भारत को सभी धर्मों की शरण स्थली माना जाता है। विश्व के सभी धर्म अपनी विशेषताओं, उपासना, पद्वातियों, दार्शनिक मान्यताओं एवं मतों संप्रदायों के साथ भारत में निवास करते है। यहाँ एक धर्म को वरीयता न देकर सभी धर्मो के प्रति सहिष्णुता का भाव रखा जाता है।

भारत में निम्नलिखित धर्मों/धार्मिक मान्यताओं एवं अनुयायियों का उल्लेख किया जाता है।

1. हिन्दू धर्म
2. बौद्ध धर्म
3. जैन धर्म
4. सिक्ख धर्म
5. इस्लाम धर्म
6. ईसाई धर्म
7. पारसी धर्म
8. यहूदी धर्म

1. **हिन्दू धर्म**– हिन्दू धर्म को सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिन्दू धर्म किसी एक प्रवर्तक या धर्मग्रंथ के नाम के नाम पर विकसित न होकर बहुआयामी एवं अनेक पद्वतियों से परिपूर्ण है। कर्म का सिद्वांत, पुनर्जन्म, मोक्ष भक्ति, समर्पण, शुद्वता जीव–जगत्, आत्मा ईश्वर के वास्तविक रूप को जानने की उत्कट अभिलाषा, साधना, व्रत, तीर्थ, मंदिर, मूर्तिपूजा, सहिष्णुता, उदारता, पर दुःख कातरता, करूणा, सत्य, अहिंसा, परोपकार, आस्था–विश्वास आदि हिन्दू धर्म के आधारभूत स्तंभ है।

   उत्तर वैदिक काल में प्राकृतिक देवताओं की जगह ब्रह्मा–विष्णु–महेश जैसी त्रिमूर्तियों तथा शक्ति, गणेश एवं अंशावतारों की वृहद कल्पना की गई, जिसके फलस्वरूप अवतारवाद की धारणा ने जन्म लिया। मध्यकाल अनेक धार्मिक प्रवृत्तियों, संप्रदायों पंथो एवं साधना पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण है। फारसी, बौद्ध आदि धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं से अनुप्रमाणित हिन्दू धर्म में अनेक नए विचारों एवं जीवन–आदर्शो का सम्मिश्रण हुआ।

   आधुनिक काल में 'हिन्दू धर्म' को पुनर्जागरण से जोड़ते हुए उसकी नवीन व्याख्याएँ की गई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसायटी, जैसी संस्थाओं द्वारा हिन्दू समाज में व्याप्त अन्धरूढ़ियों, अंधविश्वासों पर कड़े प्रहार किये गए।

2. **बौद्ध धर्म**– इस धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य माने है जिन्हें क्रमंशः दुःख सम्बन्ध, दुःख निवृत्ति के उपाय कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दुःख निवृत्ति के आठ उपाय बताये गए हैं, जिन्हें **'आष्टांगिक मार्ग'** कहते हैं– सम्यक् दृष्टि सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। इस धर्म में 'सम्यक्' शब्द संतुलन या मध्य मार्ग का प्रतीक है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बहुत जानना या बिल्कुल ही न जानना, बहुत प्रसन्नता या बहुत दुःख ये दोनों अतिवादी छोर हैं। दोनों के बीच का रास्ता ही संतुलन या मध्यम मार्ग है।

   बौद्ध धर्म को हिन्दु धर्म का ही सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है।

   मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका तक किया था। बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक में संगृहीत है। आगे चलकर महायान और हीनयान नामक दो संप्रदाय भी बन गए। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों पर ज्यादा पड़ा।

3. **जैन धर्म**– जैन धर्म को भी हिन्दू धर्म की एक विकासवादी अवस्था की शाखा माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म की दो शाखाएँ है पहली श्वेताम्बर और दूसरी दिगम्बर। श्वेताम्बर यानी वे जैन भिक्षु जो श्वेत वस्त्र धारण करते है और दिगम्बर उन्हें कहा जाता है जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व बिहार के कुण्डग्राम में हुआ था। बचपन में ये वर्धमान के नाम से जाने जाते थे 30 वर्ष की अवस्था में राजपाट छोड़कर इन्होनें लगातार 12 वर्षो तक घोर तपस्या की। अत्यधिक पराक्रमी होने के कारण इन्हें 'महावीर' की संज्ञा प्राप्त हुई। 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर इनका देहावसान हुआ। जैन धर्म में पाँच महाव्रतों–सत्य, अंहिसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को माना जाता है तपस्या जैन धर्म का मूल आधार है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है इस धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्षो पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ ने चार ही व्रत माना था। महावीर स्वामी ने पाँचवें 'ब्रह्मचर्य को शामिल किया।
4. **सिक्ख धर्म**– 'सिक्ख' शब्द शिष्य का अपभ्रंश है। गुरू के प्रति शिष्य का आदर एवं समर्पण भाव ही सिंक्ख धर्म की बुनियाद है। सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरू नानकदेव ;1469–1538द्ध थे। वे मानवता, विश्वबन्धुत्व, सहिष्णुता एवं दयाभाव में विश्वास करते थे।

''सबमें उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया''

सिक्ख धर्म के पहले गुरू नानक देव और अंतिम 10 वें गुरू गोविन्द सिंह के अलावा आठ अन्य गुरू थें जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं–

1. गुरू अंगद गुरूमुखी लिपि के जनक।
2. अमरदास सती प्रथा, पर्दाप्रथा के विरोधी।
3. रामदास अमृतसर की स्थापना की।
4. अर्जुनदेव गुरू ग्रंथ साहब का संकलन एवं मंदिर की नींव रखी।
5. तेगबहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर इन्हें फाँसी पर चढ़ा दिया गया। वहाँ का गुरूद्वारा शीशगंज आज भी प्रसिद्ध है, जो दिल्ली के चाँदनी चौक में स्थित है।
6. गुरू गोविन्द सिंह खालसा सेना के संस्थापक। सिक्ख धर्म के अनुयायियों के लिए पाँच चीजें–केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा अनिवार्य है।

5. **इस्लाम धर्म**– इस्लाम धर्म की शुरूआत सातवीं शताब्दी में अरब देश में हुई। इसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व अरब देश में अरबी धर्म प्रचलित था जिसमें बहु देव पूजा का प्रचलन था। प्राचीन अरबी धार्मिकता बर्बता के चरमोत्कर्ष पर थी। गुफा में 15 वर्षो तक तपस्या करने पर उन्हें अल्लाह का आदर्श प्राप्त हुआ और उन्होने धार्मिक सुधार किया। अरब में उनका भयंकर विरोध शुरू हुआ। फलस्वरूप मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा यह घटना 24 सितम्बर 662 ई. है। अतः इसी दिन से मुसलमानों का हिज़री संवत प्रारंभ होता है। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर पर बल किया जाता है। यह समानता एवं भाईचारे के सिद्धान्त पर आधारित है। इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय है– शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म में अत्यधिक उदारवादी एवं प्रेम से परिपूर्ण एक नये संप्रदाय का जन्म नवीं शताब्दी के आसपास हुआ, जिसे सूफी धर्म कहा गया। 'सूफी' शब्द का अर्थ होता पवित्र। शारीरिक पवित्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। मन में अगर प्रेम, दया, सौहार्द्र एवं भरोसा है तो सारे धर्म अपने हैं। सूफी इस्लामी शरीयत कर्मकाण्ड का विरोध करते थे। सूफियों में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, शेख इस्माइल, निजामुद्दीन औलिया, आदि के नाम बड़े आदर से लिये जाते है। इनकी दरगाहों में आज भी हिन्दू मुसलमान मत्था टेकते है और दुआएँ माँगते है।
6. **ईसाई धर्म**– पहली शताब्दी में सेंट थामस प्रथम की भारत–यात्रा से ही ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ, बाईबिल के दो भाग है– 1 ओल्ड टेसटामेंट 2. न्यू टेस्टामेंट । पुरानी बाइबिल को यहूदी धर्म भी कहा जाता है और इसके लेखन हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा को माना जाता है। न्यू टेस्टामेंट में ईसामसीह के उपदेशों का संग्रह है। व्यक्ति–स्वतंत्र्य मानवतावाद, भाई–चारा, तार्किकता एवं विचारों की मुक्तता ईसाई धर्म के मुख्य उपादान है।
ईसाई धर्म में इस्लाम एवं बौद्ध धर्म की बहुत सी बातों का समावेश हुआ है।
ईसाई धर्म में प्रेटिस्टेंट संप्रदाय का आरंभ सुधारवादी आंदोलन कर्ता मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। प्रेटिस्टेंट मतावलंबी पोप, चर्च और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं
7. **पारसी धर्म**– सन् 630 ई. इराक के मुसलमानों ने ईरान पर हमला करके उन्हें हरा दिया। इसके पूर्व ईरानी लोग जिस धर्म का पालन करते थे उसे पारसी धर्म में अग्नि को सर्वस्व माना जाता है। शुद्धता, पवित्रता संस्कारों एवं प्रवृत्तियों के शुद्ध सत्वरूप में अग्नि की उपासना पारसी धर्म का मूल आधार है। पारसी धर्म में प्रकृति पूजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आदि की पूजा ईश्वर के रूप में की जाती है। पारसी धर्म के संस्थापक जोरो एस्टर जरथुस्त्र को माना जाता है। इनका एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ जेद अवेस्ता है।
पारसियों को जोरो एस्ट्रिन कहा जाता है इस धर्म में अनेक देवी–देवताओं को माना जाता है।

पारसी धर्म में मृतक का अंतिम संस्कार जलाकर, दफनाकर या जल में प्रवाहित कर नहीं किया जाता है। शव को यूँ ही छोड़ दिया जाता है ताकि चील, कौए, गिद्ध इत्यादि मांस भंक्षण कर सकें। मांस भक्षी पक्षी निर्द्वन्द भाव से शव के भीतर मांस के टुकड़े खाकर तृप्त हो सकें।

8. **यहूदी धर्म**– अब्राहम के पुत्र ईसाक और जैकॉब के साथ ईश्वर ने धर्म का नवीनीकरण किया। जैकॉब इजराइल के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा इसकी संताने इजराइली कहलाई।
यहूदी धर्म विश्व का एक प्राचीन धर्म है। ईसाई धर्म भी यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप माना जाता है। यहूदी धर्म में स्वतंत्रता, मानतावाद, समानता और भाई–चारे की भावना, तार्किकता आदि के विरोध का ध्यान रखा जाता है।
पुरानी बाइबिल यहूदी धर्म के पैगम्बर हजरत दाऊद तथा हजरत मूसा द्वारा लिखी गई है। इस धर्म के आधारभूत नियम एवं शिक्षाएँ मूल बाईबिल जिसे हिब्रू कहते है कि प्रथम पाँच पुस्तको (जो तोराह कहलाती है) यहूदी धर्म का इतिहास 'तलमुद' में मिलता है। इसी में यहूदियों के लोकजीवन एवं इतिहास का संकलन हुआ।

न्याय

प्राचीन भारत में न्याय प्रणाली के पृथक–पृथक रूप देखने को मिलने है। प्राचीन समय में यह 'क्षतिपूर्ति' नाम से प्रचलित थी। इनमें अपराधी पर स्वर्णमुद्राओं के दण्ड का प्रावधान था।
उत्तर वैदिक काल में मध्यमसी' शब्द न्यायप्रणाली से जुड़ा था। उसका अर्थ था समझौता कराने वाला। ई. पूर्व दूसरी–तीसरी शताब्दी में नयायप्रणाली को धर्मशास्त्र से जोड़ा गया था। इसमें अपराधी को मूसल लेकर राजदरबार में उपस्थित होना पड़ता था। यदि मूसल से उसी समय अपराधी को टूकड़े कर दिए जाते थें, तो मान्यता थी कि चोर स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। न्याय व्यवस्था राजा के हाथ में विद्यमान थी।

2. दर्शन

प्रत्येक धर्म का पूर्वाद्ध भाग व्यावहारिक या कर्मकाण्ड प्रधान होता है तथा उत्तरार्द्ध चिन्तन प्रधान अथवा आध्यात्मिक दर्शन का संबंध धर्म के उत्तरार्द्ध से है।
वैदिक धर्म का प्रारंभिक अंश पूर्व मीमांसा कहलाता है। मीमांसा का अर्थ होता है तर्को एवं युक्तियों द्वारा किसी विषय की समस्या का निराकरण। मीमांसा दर्शन के जनक जैमिनि को माना जाता है। उत्तर मीमासां या वेदान्तदर्शन का सूत्रपात बादरायण के 'वेदान्तसूत्र' अथवा 'ब्रहमसूत्र' से माना जाता है। वेदान्त दर्शन पूर्णतः उपनिषदों पर आधारित है?

आस्तिक दर्शन–
आस्तिक का अर्थ होता है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना।
अस्तिक दर्शन में अनेक सुधार एवं परिवर्तन करने पश्चात् निम्नलिखित रूपों में उसका उल्लेख किया जाता है। इन्हें षड्दर्शन के नाम से जाना जाता है।

1. न्याय 2. वैशेषिक 3. सांख्य 4. उपनम, 5. निगमन

1. न्याय दर्शन– इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को माना जाता है। महर्षि गौतम ने न्याय के पॉच अंग बताये है 1. प्रतिज्ञा 2. उदाहरण, 3. हेतु, 4. उपनम, 5. निगमन
2. वैशेषिक दर्शन – वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद कहे जाते है। इनके अनुसार संसार की रचना अदृश्य अणु–शक्ति द्वारा हुई है।
3. सांख्यदर्शन– सांख्य के संस्थापक महर्षि कपिल को कहा जाता है। महर्षि कपिल के अनुसार प्रवृति अथवा आत्मा अमर एवं अनादि है। उसे जानने के बाद ही जीवन संसार के दुःखों से मुक्ति पा सकता है।
4. योग दर्शन– योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पंतजलि है। इन्होंने आत्म–ज्ञान की आठ विभूतियों का उल्लेख किया है जिन्हें यम, नियम आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के नाम से जाना जाता है।
5. मीमांसा दर्शन– इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि को माना जाता है। इस दर्शन में यज्ञ को सर्वोपरि माना गया है।
6. वेदान्त दर्शन– वेद के अंतिम भाग को वेदान्त कहते है। वेदान्त उपनिषदों का आशय भी लिया जाता है।

इन छः दर्शनों के अलावा आस्तिक दर्शन के अन्तर्गत द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, एवं विशिष्टा द्वैतवाद का उल्लेख भी किया जाता है।
नास्तिक दर्शन– आस्तिक दर्शन के अन्तर्गत षट्दर्शन की तरह ही नास्तिक दर्शन के भी छः रूप हैं–

1. चार्वाक का लोकायतदर्शन
2. महात्मा बुद्ध का माध्यमिक दर्शन
3. जैन दर्शन
4. योगाचार दर्शन
5. सौत्रन्तिक दर्शन
6. वैभाषिक दर्शन

आस्तिक दर्शन– 'लोकायत' का अर्थ होता है लोक अर्थात संसार को ही सब कुछ मानना। 'संसार' क अलावा आत्मा, ईश्वर इत्यादि की सत्ता कुछ नहीं है जो कुछ है, यह संसार है।

माध्यमिक दर्शन– इस दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक' कहलाता है।

जैन दर्शन– जैन दर्शन का एक मात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है 'तत्वार्थाधिगम सूत्र' जैन दर्शन का विकास छठी शताब्दी में हुआ। जैन दर्शन में 24 तीर्थकर हुए है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। 23 वें तीर्थकर पार्श्वनाथ एवं 24 वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी की गणना की जाती है।

4. नीति

''जीवन को सहज, प्रभावशाली, सुखद, निरापद एवं समग्रता के साथ जीने के लिए जो अनिवार्य एवं कल्याणप्रद सिद्धान्त है, उन्हें ही **''नीति''** कहते है।''

नीतिशास्त्र :– जो व्यावहारिक आधार प्रस्तुत किए है, वे ही नीतिशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य और अन्य प्राणियों में यह अन्तर है कि मनुष्य के कार्य सोच विचार के परिणाम होते है और पशुओ द्वारा जो कुछ किया जाता है, वह संवेगात्मक होता है। नीतिशास्त्र के आधार प्राचीन भारतीय वेद, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य एवं लोक प्रचलित सूक्तियाँ है। महाभारत और रामायण तो नीतियों का महासमुद्र है। शुक्रनीति, विदुरनीति, पंचतंत्र और नीतिशतक जैसे ग्रंथ भारतीय साहित्य के मेरूदण्ड है। मौर्य काल के आचार्य विष्णुगुप्त बनाम चाण्क्य बनाम कौटिल्य को नीतिशास्त्र का सुमेरू माना जाता है। अर्थ, राजनीति, धर्म और समाज का आधार बनाकर उन्होंने जिस नीतिशास्त्र का प्रणयन किया, वह आज भी प्रासंगिक है।

नीति और धर्म–
नीतियों का संबंध उपदेश से है और धर्म का आदेश से। नीतियाँ धर्म की व्याख्या है। नीतियाँ हमें बताती है कि धर्म को कैसे ग्राह्ा किया जाय और अधर्म से कैसे दूर हुआ जा सके। नीतियाँ धर्म का आधार है और क्रियान्वयन की पद्धतियाँ भी। धर्म अगर प्राण है तो नीतियाँ चेतना है। नीतियाँ धर्म की आँखे है जो प्रत्यक्ष होकर हमें गतव्य तक पहुँचाने का उपक्रम करती है। 'नीति' में निपुणता एवं धर्म में परायणता का भाव छिपा होता है।

नीति और दर्शन–
दर्शन की सूक्ष्मता का स्थूल एवं व्यावहारिक धरातल 'नीति' है। गंभीर से गंभीर दार्शनिक मान्यताओं को सामाजिक, वैयक्तिक एवं आर्थिक राजनीतिक आधार देने का कार्य नीतियाँ ही करती है। दर्शन चिन्तन की समग्रता को प्रतिबिम्बित करता है। नीतियाँ उसमें यथार्थ निदर्शन की भूमिका प्रस्तुत करती है। दर्शन एककालिक होता है नीतियाँ सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक होती है। दर्शन में दुरूहता हाती है, नीतियाँ में सरलता। दर्शन का एक वाद दूसरे को स्वीकार्य नहीं हो सकता नीतियॉ सबको स्वीकार्य होती है।

नीति और समाज–
'व्यक्ति' स्वयं में कुछ भी नही है उसे समाज का हिस्सा बनने के लिए कुछ नीतियों, कुछ नैतिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। व्यक्ति का सामाजिक विकास नीतियों पर निर्भर है। राज्य की नीतियों, अर्थनीतियों धर्मनीतियों के माध्यम से व्यक्ति का शारिरिक, मानसिक उत्कर्ष संभव होता है। व्यक्ति से समाज बनने के क्रम में 'नीतियों' का महत्वपूर्ण योगदान है। नीति और समाज एक दूसरे के पूरक है।

नीति और राजनीति–
प्राचीन भारत में राजनीति की जगह 'नीति' शब्द का ही प्रयोग होता था। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में 'राजनीति' शब्द नीति का ही प्रयोग होता था। उस समय राजनीति विज्ञान के लिए 'नीतिशास्त्र' शब्द ही था। धर्म और नैतिकता का मुख्य आधार होने के कारण सामाजिक, आर्थिक नियमों को नीतिशास्त्र के अन्तर्गत ही स्वीकार किया जाता था।
राजनीति को नीति का पूरक भी कहा जा सकता है और विकास भी। नीति के अन्तर्गत राजनीतिक विचारों एवं उनकी सीमाएँ समाहित है।

नीति और अर्थ–
अर्थशास्त्र के प्रणेता चाणक्य ने 'अर्थ' शब्द का वृहद् आशय ग्रहण किया है। उन्हीं के शब्दों में ''अर्थ मानव जनसंख्या'' कौटिल्य के अनुसार धरती पर जो कुछ भी है, वह अर्थ ही है। 'नीति' वह साधन है जिसके जरिये अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है। नीतियों को पाँच रूपों में नियोजित किया गया है।

1. राजनीति 2. विदेशनीति 3. सैन्यनीति 4. गुप्तचरनीति 5. आयकरनीति

नीति और विज्ञान–
नीति और विज्ञान–दोनों पृथक–पृथक दिखाई देते हैं लेकिन दोनो में गहरा संबंध है। विज्ञान का उद्देश्य जिस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सुधार, समरसता एवं सुविधाएँ बदलाव एवं परिष्कार दोनो समान लक्ष्य है। नीतियों का वर्गीकरण, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक आदि आधारों पर किया जा सकता है।

5. साहित्य
साहित्य से आशय –
साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्ब होता हैं। **''हितने सहितम्, सहितम्, साहितस्य भावः साहित्यम्''** इस विग्रह के अनुसार साहित्य का शाब्दिक अर्थ हैं 'जिसमें हित की भावना सन्निहित हो।' अपने हित–अहित का ज्ञान तो पशु–पक्षियों को भी होता है, जैसा कि 'गोस्वामी तुलसीदास' स्वीकार करते हैं, **'हित अनहित पशु पक्षिहुं जाना।'** फिर इससे तो मानव एक बुद्धि–जीवी प्राणी ठहरा। उसे तो यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मनुष्य की भाँति साहित्य भी हित–चिन्तन करता हैं, परन्तु मनुष्य और साहित्य के हित–चिन्तन में अवनि और अम्बर का अन्तर है। साधारणतया मनुष्य का हित–चिन्तन संकुचित 'स्व' पर आधारित रहता है। उसकी सीमित दृष्टि केवल अपना ही चक्कर लगाकर लौट आती हैं, परन्तु साहित्य का हित–चिन्तन विश्वात्मैक्य और विश्व–कल्याण की भावना पर आधारित होता है। एक व्यक्तिगत हित–चिन्तन हैं, दूसरा समष्टिगत। अतः जिस ग्रन्थ में समष्टिगत हित–चिन्तन प्राप्त होता हैं, वही साहित्य है। इसलिये विद्वानों ने 'ज्ञान–राशि' के संचित कोष का नाम **'साहित्य'** कहा है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है।

साहित्य हमारी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्तियों को शान्त करता हैं, ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता हैं और मस्तिष्क की क्षुधापूर्ति करता है। जठरानल से उद्विग्न मानव जैसे अन्न के एक–एक कण के लिये लालायित रहता हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क भी क्षुधाग्रस्त होता हैं, उसका भोजन हम साहित्य से प्राप्त करते हैं। केवल साहित्य के ही द्वारा हम अपने राष्ट्रीय इतिहास, देश की गौरव गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, पूर्वजों के अनुभूत विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति–रिवाजों, रहन–सहन और परम्पराओं से परिचय प्राप्त करते है।

संस्कृत में निम्नलिखित को साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता हैं –

1. वैदिक साहित्य
2. वेदांग साहित्य
3. पुराण और इतिहास
4. धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र
5. दर्शन
6. संस्कृत का बौद्ध और जैन विवेचनात्मक ग्रंथ
7. आयुर्वेद एवं अन्य उपवेद
8. अलंकृत काव्य, गद्य नाटक, चंपू और कहानियाँ
9. नाटक और काव्य के विवेचनात्मक ग्रंथ
10. संकीर्ण काव्य, धर्म और दर्शन की टीकाएं
11. निबंध
12. तंत्र–ग्रंथ और भक्ति साहित्य
13. पत्थरों और ताम्रपत्रों का साहित्य

हिन्दी साहित्य –

सन् 1000 ई. के आसपास हिन्दी साहित्य प्रारंभ होता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को काल एवं प्रवृत्ति के आधार पर चार भागों में विभक्त किया हैं –

1. आदिकाल अथवा वीरगाथा काल (संवत् 1050–1375 ई. तक)
2. पूर्व मध्य काल या भक्ति काल (संवत् 1375–1700 ई. तक)
3. उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल (संवत् 1700–1900 ई. तक)
4. आधुनिक काल अथवा गद्यकाल (संवत् 1900 ई. से अब तक)

1. आदिकाल अथवा वीरगाथा काल ;संवत् 1050–1375 ई. तकद्ध

आदिकाल अथवा वीरगाथा काल में हिन्दी, अपभ्रंश, प्राकृत मिश्रित काव्य रचनाएँ लिखी गई। आदिकालीन उपलब्ध साहित्य को भाषिक दृष्टि से पाँच वर्गों में विभक्त किया गया हैं –

1. अपभ्रंश साहित्य
2. डिंगल साहित्य
3. पिंगल साहित्य
4. लोक भाषा काव्य
5. आदिकालीन अन्य साहित्य

2. पूर्व मध्य काल या भक्ति काल ;संवत् 1375–1700 ई. तकद्ध

भक्ति काल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति भक्ति है। भक्तिकाल को दो धाराओं में बांटा गया हैं –

1. निर्गुण भक्ति धारा 2. सगुण भक्ति धारा

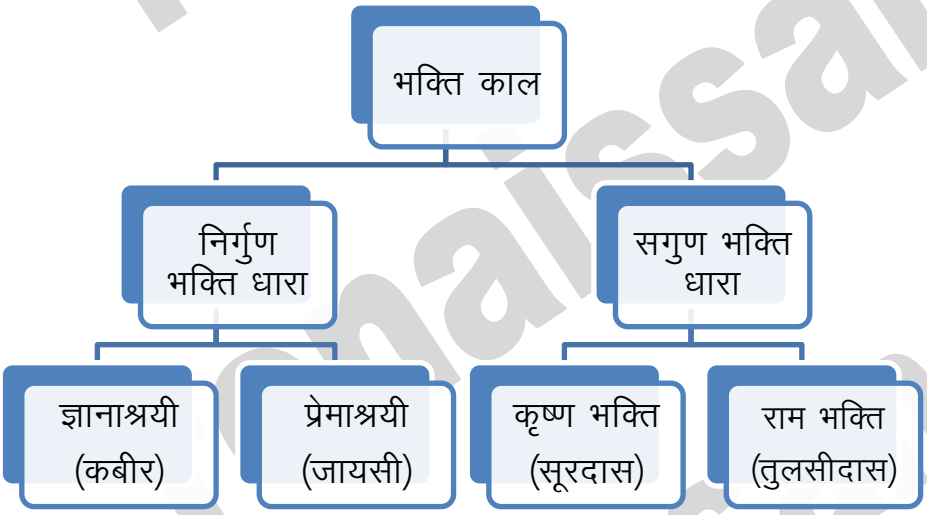

3. उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल (संवत् 1700–1900 ई. तक)

'रीति' का अर्थ हैं परम्परा अथवा पूर्व की काव्य मान्यताओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना।

रीतिकाल को तीन भागों में विभक्त किया गया हैं –

1. रीतिबद्ध काव्य
2. रीतिमुक्त काव्य
3. रीतिसिद्ध काव्य

इस काल में जनमानस का झुकाव भक्ति से हटकर लौकिक श्रृंगार एवं भोग–विलासिता की तरफ हो रहा था। यही कारण हैं कि इस काल की रचनाओं में श्रंगारिकता, मांसलता, नखशिख वर्णन, नायक–नायिका भेद निरूपण की अधिकता परिलक्षित होती है।

4. आधुनिक काल अथवा गद्यकाल (संवत् 1900 ई. से अब तक)

आधुनिक काल को हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु काल, गद्य काल या खड़ी बोली हिन्दी कविता का काल भी कहा जाता है। सन् 1826 ई. में **'उदन्त मार्तण्ड'** नामक हिन्दी साप्ताहिक के प्रकाशन ने हिन्दी गद्य को एक नई नीति दी। आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया –

1. भारतेन्दु काल (सन् 1850–1900)
2. द्विवेदी युग (सन् 1900–1920)
3. छायावाद (सन् 1920–1935)
4. उत्तर छायावाद

प्रगतिवाद (सन् 1936–1942)

प्रयोगवाद एवं नई कविता (सन् 1943–1960)

समकालीन काव्य साहित्य (सन् 1980 ई. के पश्चात्)

renaissance
renaissance
renaissance

इकाई–3

1. संचार–संसाधनः सम्पर्क के नए क्षितिज

आशय– सम्प्रेषण से आशय सूचना अथवा सन्देश का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सन्देशवाहन से है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास किसी भी माध्यम से अपनी बात या सन्देश भेजता है, तो इसे सम्प्रेषण कहा जाता है। आधुनिक संचार क्रांति के युग में समस्त व्यावसायिक उपक्रमों की सफलता काफी सीमा तक प्रभावी सम्प्रेषण प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

सम्प्रेषण शब्द अंग्रेजी के शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, शाब्दिक अर्थ है, एक समान। अर्थात् सम्प्रेषण वह साधन है, जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों सूचनाओं विचारों विकल्पों एवं निर्णयों का दो या अधिक व्यक्यिों के बीच अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान–प्रदान होता है। सन्देशों का आदान–प्रदान लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक हो सकता है।

परिभाषाएँ– वैसे तो प्रबन्ध विज्ञान से जुड़े कई विद्वानों ने सम्प्रेषण को परिभाषित किया है, लेकिन निम्न परिभाषाएँ अत्यन्त उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है–

1. ''यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों, सलाहों या भावनाओं का विनिमय होता है।'' **न्यूमैन एवं समर**
2. ''संचार से आशय किसी ऐसे व्यवहार से है, जिसका परिणाम आशय का विनिमय होता है।'' **अमेरिकन प्रबंधकीय एसोसिएशन**
3. ''संदेशवाहन उन समस्त बातों का योग है, जिन्हें एक व्यक्ति उस समय करता है, जबकि वह किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ समझाना चाहता है। यह अर्थ का पुल है। इसके अन्तर्गत कहने, सुनने व समझने की एक विधिवता निरन्तर प्रक्रिया में चलती रहती है।'' **लुईस ए. ऐलन**

सम्प्रेषण के आशय एवं उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम एक श्रेष्ठ परिभाषा इस प्रकार से दे सकते है।

परिभाषा– ''सम्प्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या सन्देश पहुँचाने की प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं का आदान–प्रदान होता है, जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में एकरूपता आती है।''

सम्प्रेषण की विशेषताएँ

एक कुशल सम्प्रेषण प्रक्रिया की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित है–

सम्प्रेषण विचारों की अभिव्यक्ति है– किसी भी व्यक्ति के लिए सम्प्रेषण उतना ही जरूरी है, जितना दैनिक जीवन का कोई कार्य, जैसे– भोजन करना या सोना। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ बाँटना चाहता है और इसका जरिया है– सम्प्रेषण। इसी के माध्यम से मनुष्य अपने आपको व्यक्त कर पाता है, अतः सम्प्रेषण अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। किसी भी सफल व्यवसाय की सफलता का राज उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति में ही निहित होता है।

1. नियन्त्रण है
2. अभिप्रेरण है
3. भाव प्रदर्शन है
4. सूचना का संवहन है
5. सम्प्रेषण का क्षेत्र विस्तृत है
6. सम्प्रेषण एक सतत् प्रक्रिया है
7. सम्प्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है
8. सम्प्रेषण का क्षेत्र विस्तृत है
9. सम्प्रेषण के विभिन्न प्रकार होते है
10. सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम होते है

सम्प्रेषण : द्विमार्गी प्रक्रिया
संचारक⟶ संदेश⟶ माध्यम⟶ प्रापक⟶ प्रभाव संचार के घटक

मॉस मीडिया
वर्तमान समय में जनसंचार सबसे ताकतवर संचार संधान है, इसमें संचार प्रक्रिया के सभी तत्व सम्मिलित है। जनसंचार में प्रेषक एवं प्रापक अकेले नहीं बल्कि यूनिट के साथ होते है। इस संसाधन में सूचनाएँ एक विशाल जनसमूह के लिए प्रेषित की जाती है जो मिश्रित अभिरूचियों, मनोवृत्तियों व विचारों वाला होता है। जनसंसाधन माध्यम के अन्तर्गत प्रिट, श्रव्य, दृश्य एवं दृश्य–श्रव्य संसाधन सम्मिलित हैं।

अन्तः वैयक्तिक संचार
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संचार सम्प्रेषण को अन्तः वैयक्तिक संचार कहते है। इस संचार के अन्तर्गत संकेतों, शारीरिक चेष्टाओं, भाषणों बातचीत आदि सबका प्रयोग होता है। व्याहारिक तौर पर हम अपने मित्रों परिचितों रिश्तेदारों एवं परिवार वालों से अनौपचारिक बातचीत करते रहते हैं। यह बातचीत बिल्कुल सहज एवं सम्प्रेषणीय होती है। एक व्यक्ति द्वारा जब अनेक व्यक्तियों को सम्बोधन के जरिये सूचनाएँ दी जाती है। तो वहाँ भी अन्तः वैयक्तिक संचार होता है, जैसे धार्मिक प्रवचन, नेताओं के भाषण, गुरू द्वारा शिष्यों को प्रशिक्षित करना, शिक्षण कार्य ये सभी इसके अन्तगर्त शामिल किए जा सकते है।

समूह संचार
समूह, सहकार, सहयोग एवं सदाशयता के लिए मनुष्य स्वाभाविक तौर पर समूह में रहना पसन्द करता है। अकेलेपन से ऊब और भय होता है। पुराने समय में नौटंकी, कठपुतली का खेल, बाइपस्कोप, रामलीला, नाच गाने आदि लोक मनोरंजन के कार्यक्रम समूह संचार के तहत ही होते थे। आज भी हम सामूहिक तौर पर सिनेमा देखते है। संचार के द्वारा मनुष्य में आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द्र एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। समूह में रहकर किसी भी मनोरंजन के कार्यक्रम में हमें जितना आनन्द मिलता है, उतना अकेले में नहीं कारण कि हमारा मन अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति एवं उत्साह से सराबोर होकर अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर हो जाता है। फलस्वरूप एक सामूहिकता का भाव आ जाने के कारण सबका सुख–दुख अपना हो जाता है।

संचार संसाधन
संचरित सन्देशों, सूचनाओं की विभिन्न विधाओं अथवा उपकारणों को संचार संसाधन कहते है। संचार के इन साधनों को हम निम्न चार भागों में बाँट सकते है–

1- सांकेतिक या अशाब्दिक संचार (Non verbal communication)
2. अन्तः वैयक्तिक संचार (Interpersonal Communication)
3. समूह संचार (Group Communication)
4. जनसंचार (Mass Communication)

संदेश
संप्रेषक द्वारा बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर संकेतों के जरिए जो सूचनाएँ प्रेषित की जाती है, इस प्रक्रिया में संकेतीकरण एव संकेतवाचन का बहुत महत्व है।

2. समाचार–पत्र
आदिकाल से ही मानव की जिज्ञासा रही है कि वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें तथा विभिन्न स्थानों के क्रिया–कलापों से अवगत होता रहे । समाज में समाचार–पत्र की एक निर्णायक भूमिका होती है। अपने पाठकों को सूचना प्रदान करने के अलावा सामचार–पत्र का उद्देश्य लोक शिक्षण एवं नेतृत्व, जनमत–निर्धारण के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना भी होता हैं लोगों को सहयोग, प्रेम और एकता की ओर प्रेरित करना, जीवन और अनुरंजन की गुणवत्ता को समृद्ध करना आदि शामिल हैं इस दृष्टि से समाचार–पत्र सामाजिक रूपांतरण का एक माध्यम है। निःसन्देह समाचार–पत्र का कर्तव्य है कि वह दायित्व–बोध के साथ कार्य कर तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होकर अपनी महती भूमिका का निर्वाह करे।
यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना को पैदा किया जा सकता है तथा नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। समाचार–पत्रों के द्वारा हम लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के सुझाव, सम्मति तथा आलोचना से अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते है, इससे जनता जागरूक, योग्य एवं निर्भीक होती है। समाचार–पत्र मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है। श्रमिकों और श्रमजीवियों के लिए यह रोजी–रोटी का साधन भी है।
मानव जो कुछ भी देखता है उसे अन्य व्यक्तियों को और बतलाना चाहता है, साथ ही सबकी बातों को जानना चाहता है। इसी भावाभिव्यक्ति की प्रवृत्ति के कारण जन माध्यम का अविष्कार हुआ। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की उत्कण्ठा, चिंतन एवं अभिव्यक्ति

की आकांक्षा ने भाषा को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार समाज में एक–दूसरे के कुशलक्षेम जानने की प्रबल इच्छा शक्ति ने पत्रों के प्रकाशन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन–मनन और आत्माभिव्यक्ति ने पत्रकारिता को जन्म दिया।

प्रेस और पत्रकारिता– छापने की कला से ही पत्रकारिता का उद्‌भव माना जाता है। पुरात्व की खोजें मनुष्य के इतिहास को ईसा की दूसरी सदी तक ले गयी है। चीन में 175 ई. में ठप्पे से मुद्रित ग्रन्थ का कुछ भाग आज भी विद्यमान बताया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम पुस्तक रोमन लिपि और देशी भाषा में 1560 में छपी थी परंतु 1778 ई. में कलकत्ते में प्रेस खुलने तक कोई विशेष उन्नति इस क्षेत्र में नहीं हुई। 29 जनवरी सन् 1780 ई. वह स्वर्णिम दिवस है जिस दिन एक गैर भारतीय द्वारा पत्र प्रकाशित हुआ। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय (1722–1833) के प्रयास से 1818 ई. में 'बंगाल गजट' 1821 ई. में 'संवाद कौमुदी' और 'मिरातुल अखबार' निकले। स्वतंत्रता के पूर्व की पत्रकारिता तेजस्विनी, ओजस्विनी, निर्भय, परम न्यायपरायण तथा सर्वतः पुण्यसंचारिणी रही है। पत्रकारिता को राष्ट्रीय जागरण का एक साधन स्वीकार किया तथा 'मिशन' के रूप में इसको त्यागशील संघर्षमयी परम्परा का नियामक माना। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नये रचनात्मक क्रियाकलापों और राष्ट्रहित में कर्तव्यों के परिपालन में पत्र ठोस भूमिका का निर्वहन कर रहे है। पहले पराधीन भारत की पत्रकारिता का चरित्र प्रतिरोध का था, जो इस पर चलते थे वे झुकते नहीं थें भले ही टूट जाते। पत्रकार भावुक था परंतु अब नये परिवेश में उसे चतुर होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, पक्षपात, लालफीताशाही, सत्ता के दुरूपयोग और अव्यवस्था के खुले विरोध द्वारा पत्रों को जन–सामान्य के हितों को सुरक्षित रखना है। कल्याणकारी दृष्टि द्वारा लोकरूचि के परिष्कार का महान कार्य पत्रकारिता द्वारा संभव है।
भारत के प्रमुख समाचार–पत्रों को हम तीन भागों में बांट सकते है–

1. 1780 ई. में 1880 ई. तक के समाचार पत्र
2. 1881 ई. से 1947 तक के समाचार पत्र
3. 1947 से आज तक के समाचार पत्र

3. भारतीय प्रेस परिषद्
प्रेस परिषद् के कार्य एवं अधिकार

1. समाचार पत्रों एवं न्यूज एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सहयोग देना।
2. उच्च व्यावसायिक स्तर को कायम रखने के लिए समाचार–पत्रों न्यूज एजेसियों एवं संपादको के लिए आचार–संहिता का निर्माण करना।
3. यह देखना कि प्रेस जनरूचि के उच्च स्तर को बनाए रखने के साथ–साथ नागरिकता के अधिकार कर्तव्य की भावना का पोषण करें।
4. पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे समस्त व्यक्तियों में उत्तरायित्व एवं जनसेवा की भावना को विकसित करना।
5. जनरूचि एवं महत्व के समाचारों के संभरण और प्रसार में यदि किसी प्रकार की बाधाएँ उपस्थित हो तो उनकी जॉच करना।
6. भारत में किसी भी समाचार–पत्र एवं न्यूज एजेंसी ने विदेशी स्त्रोत से सहयोग लिया हो, तो उस पर निगाह रखना। इसके अन्तर्गत वे मामले भी है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए हो या किसी व्यक्ति के समूह या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए गए हों।
7. विदेशी समाचार–पत्रों के अध्ययन का कार्य हाथ में लेना। इसमें वे समाचार–पत्र भी शामिल है, जो किसी दूतावास या भारत में किसी देश के प्रतिनिधि द्वारा यहॉ लाए गए हैं। इन समाचार पत्रों का अध्ययन करना है।
8. पत्रकारों को समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
9. समाचार पत्र एवं न्यूज एजेंसियों में काम कर रहे लोगों के बीच अच्छे कार्यात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करना।
10. उन स्थितियों की जाँच करना जिनके कारण प्रेस में कही केन्द्रीकरण और एकाधिकार होता जान पड़े। इसमें समाचार–पत्रों एवं न्यूज एजेंसियों के स्वामित्व या वित्तीय संरचना का अध्ययन करना भी शामिल है तथा यदि आवश्यकता समझी जाए तो उक्त समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव देना।
11. तकनीकी या अन्य शोध–कार्यो को प्रोत्साहित करना।
12. परिषद् वे कार्य भी करे, जो उसके उपर्युक्त कार्यो को करने में सहयोग देते है।

परिषद् के अधिकार
परिषद् जो कि एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय होती है, के पास कोई दंडात्मक अधिकार नहीं होते। किन्तु उसके पास नैतिक अधिकार अवश्य होते है। यदि कोई समाचार–पत्र पत्रकारिता की आचार–संहिता का उल्लंघन करते हए पाया जाता है, तो वह उसकी भर्त्सना कर सकती है, चेतवानी दे सकती है अथवा सेंसर कर सकती है।

प्रमुख न्यूज एजेंसियाँ
प्रमुख न्यूज एजेंसियाँ सन् 1948 में इंडियन प्रेस ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पी.टी.आई. की स्थापना की। यह एक समाचार ट्रस्ट है, जिसका उद्‌देश्य अपने सभी ग्राहकों को कुशल एवं निष्पक्ष समाचार सेवाएँ प्रदान करता है।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया
यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के बंद करने के बाद यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यू.एन.आई. की स्थापना की गई। कंपनी के रूप में इसका पंजीकरण 10 नवम्बर 1959 को किया गया था तथा इसने अपनी समाचार सेवाएँ 21 मार्च, 1961 में देनी आरंभ की। यह एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेसियों में से एक है।

नॉन–अलाइंड न्यूज एजेंसीज पूल
वर्ष 1976 में स्थापित एन.ए.एन.ए.पी. वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से निर्गुट देशों की समाचार एजेंसियों से समाचारों का आदान–प्रदान किया जाता हे। यह विश्वव्यापी संस्थान है, जिसमें चार महाद्वीप सम्मिलित है– एशिया, पूर्वी, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरि
का।

भारत में अन्य न्यूज एजेंसियाँ
भारत में उक्त तीन समाचार एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित समाचार एजेंसियाँ कार्य करती है–

1. इंडियन न्यूज एंड फिचर्स अलांयस (आई.एन.एफ.ए.)
2. काटोंग्राफिक न्यूज सर्विस (सी.एन.एस.)
3. डाटा न्यूज फीचर्स (डी.एन.एफ.)
4. इंडियन प्रेस एजेंसी (आई.पी.ए.)
5. नेशनल न्यूज सर्विस (एन.एन.एस.)
6. न्यूज फीचर्स ऑफ इंडिया (एन.एफ.आई.)

कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के कार्यालय भारत में है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विदेशी न्यूज एजेंसियाँ है–

1. एजेंसी फ्रांस प्रेस (ए.एफ.पी.)
2. एसोसिएटेड प्रेस (ए.पी.)
3. यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल (यू.पी.आई.)
4. राइटर।

प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो
प्रेस इनफोमेशन ब्यूरो पी.आई.बी. केन्द्रीय सरकार की एक एजेंसी है, जो भारतीय एवं विदेशी समाचार–पत्रों, न्यूज एजेसियों, रेडियों और टेलीविजन को सरकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की सूचनाएँ भेजती है। उसके देश भर में टेलीप्रिंटर है और उसे हवाई सेवाओं की सुविधाएँ उपलब्ध है वह 8,000 से भी अधिक समाचार–पत्रों को अपनी प्रकाशन सामग्री भेजती है।

4. रेडियो
रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे लोकप्रिय साधन है। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियों का पहला प्रसारण बम्बई मुम्बई से हुआ सन् 1900 में मारकोनी ने इंग्लैण्ड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्ति रेडियों संदेश की शुरूआत की इसके बाद कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसडेन ने 24 दिसम्बर 1906 को रेडियों प्रसारण की शुरूआत की। उन्होने जब पहली बार वायलिन बजाया तो अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाजों के रेडियों ऑपरेटरों ने अपने–अपने रेडियों सेट में सुना। संचार युग में प्रवेश का यह प्रथम अवसर था।

1916 से 1920 के मध्य रेडियों का विकास हुआ और अनेक देशों ने रेडियों स्टेशन स्थापित करके प्रसारण आरम्भ कर दिया। भारत में पहला रेडियों स्टेशन एक निजी क्लब रेडियों क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जून 1923 में स्थापित कर आरम्भ किया गया था। भारत में ''इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का उद्घाटन ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 23 जुलाई

1926 को किया। उस समय रेडियों लाइसेसी की संख्या बहुत कम थी तथा कम्पनी के खर्च अधिक थे इसी वजह से 1 मार्च 1930 को यह कम्पनी बन्द कर देनी पड़ी। जनता द्वारा प्रसारण पुनः प्रारम्भ करने के लिए दबाब डाला गया। अप्रैल 1930 को सरकार ने कम्पनी को अपने नियन्त्रण बीबीसी से आये हुए लियोनल फेल्डिन ने कार्य संभाला। इसके बाद 8 जून 1936 को कम्पनी का नाम बदलकर **'आल इंडिया रेडियों'** कर दिया गया 1939 में समाचारों का प्रसारण भी आरम्भ कर दिया।
आजादी के बाद 1956–57 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। भारत जैसे संस्कृति बहुभाषी देश में वर्तमान में आकाशवाणी से 24 भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा का प्रसारण होता है। भारत में रेडियो अर्थात् आकाशवाणी भारतीय जनमानस के लिए आज भी सूचना तथा प्रचार–प्रसार माध्यम का एक विशेष आकर्षण है, परन्तु आज आकाशवाणी अर्थात् ऑल इण्डिया रेडियों, टेलीविजन तथा अन्य प्रचार–प्रसार माध्यमों की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में उलझ गया है।

अब तक आकाशवाणी ने विकास की कई यात्राएँ तय की है। भारत में आकाशवाणी भारतीय जनमानस के लिए आज भी सूचना तथा प्रसार–प्रसार माध्यम का एक मुख्य केन्द्र है। महानिदेशालय आकाशवाणी प्रसार भारती के नियंत्रण में कार्य करते है। प्रसार भारती मण्डल संगठन की नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन निश्चित करता है। आकाशवाणी के कार्यो का संचालन करते है।

आकाशवाणी जिन तीन महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं वे हैं– सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को दो मुख्य भागों में बाँटा गया है – आन्तरिक प्रसारण–सेवा और विदेश प्रसारण–सेवा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आकाशवाणी के बहुमुखी विकास की योजनाएँ बनाई गई। इसे पायलेट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है।

सन् 1951 में योजनाबद्ध विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार की गई। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गए।

पहली पंचवर्षीय योजना – 1951–56
द्वितीय पंचवर्षीय योजना – 1956–61
तृतीय पंचवर्षीय योजना – 1961–66– इस योजना के दौरान चंदा कमेटी का गठन किया गया जिसने सुझाव दिया कि उसे एक स्वायत निगू के हवाले कर देना चाहिए। सन् 1956 में आकाशवाणी की ओवरसीज सेवा का एकीकरण कर दिया गया।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969–74
पाँचवी पंचवर्षीय योजना 1974–79– इस दौरान हिन्दुस्तान टाइम्स के पूर्व सम्पादक बी.जी. वर्गीज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय प्रसारण न्यास बनाकर दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्ता देने का सुझाव दिया, चंदा कमेटी की सिफारिशों की लागू किया गया और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को अलग कर दिया गया। 1972 में देश का पहला एफ.एम. प्रसारण मद्रास से प्रारम्भ हुआ।
छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85

रेडियों के विभिन्न रूप–

1. **हैम रेडियो**– 1915 में वायरलेस टेलीग्राफी के समय अप्रशिक्षित, गैर प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों को हैम कहा जाता है। उस समय प्रचलित रेडियों को हैम रेडियों कहा गया।
2. **ए.एम. रेडियों**– दुनिया में ए.एम. प्रसारण वर्ष 1920 के लगभग शुरू हुआ था। ए.एम. का अर्थ होता है एम्प्लीट्यूड माड्यूलेशन।
3. **एफ.एम. रेडियों**– एम.एम. रेडियों का अविष्कार 1930 के आसपास एडबिन एच.आर्मस्ट्रांग ने किया था। ए.एम. रेडियों प्रसारण में अन्तर्विरोध की समस्या से निपटने के लिए एफ.एम. रेडियों तकनीक का जन्म हुआ था।
4. **सामुदायिक रेडियों**– सामुदायिक रेडियों का अर्थ है कि एक समुदाय विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार एक छोटे भू–भाग पर रेडियों प्रसारण करना और इस प्रकार प्रसारित होने वाले कार्यक्रम तैयार करने में भी उस समुदाय विशेष की भूमिका होनी चाहिए।
5. **सैटेलाइट रेडियों**– उपग्रह की सहायता से रेडियों कार्यक्रमों को सुनना की सैटेलाइट रेडियों को 'डिजिटल रेडियों' भी कहते हैं क्योंकि इसकी आवाज एकदम स्पष्ट बिना रूकावट के सुनाई पड़ती है।
6. **डिजीटल रेडियों**– डिजीटल रेडियों प्रसारण सेवा सर्वप्रथम यूरोप में शुरू, हुई, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में।
7. **स्काई रेडियो**– हवाई जहाज के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुनिया में स्काई रेडियों, नेटवर्क की शुरूआत हुई।
8. **इन्टरनेट रेडियों**– इन्टरनेट की मदद से ऑडियों प्रसारण करने वाली सेवा ही इन्टरनेट रेडियों है, इन्टरनेट रेडियो स्टेशन को हम दुनिया में कहीं से भी सुन सकते है।

प्रसार भारती

सन् 1990 में प्रसार भारती अधिनियम तैयार किया गया। इसके द्वारा प्रसार भारती नामक प्रसारण निगम की व्यवस्था की गई इस अधिनियम में 4 अध्याय और 35 धाराएँ है। प्रसार भारती निगम को चलाने के लिए प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना की गई। है। इसके अलावा प्रसारण परिषद् तथा संसदीय समिति प्रसार भारती के दो अन्य अंग हैं।

प्रसार भारती के उद्देश्य–

1. देश की एकता, अखण्डता तथा संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना।
2. सार्वजनिक हित के सभी विषयों पर सत्य और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करना।
3. शिक्षा और साक्षरता का प्रसार करना, देश के विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं को कार्यक्रयों में पर्याप्त स्थान देना।
4. खेलकूद से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रसारण।
5. युवाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन एवं छुआछुत, असमानता के खिलाफ प्रचार करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण।
6. महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण।
7. श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने से सम्बधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय समाचार 2. संगीत सरिता 3. जयमाला 4. हवामहल 5. छायागीत
6. संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 7. हेलो फरमाइश 8. सखी–सहेली

आकाशवाणी के प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम

1. कुष्ठ उन्मूलन परियोजना 2. तिनका–तिनका सुख 3. राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका
4. वयस्क शिक्षा एवं सामुदायिक विकास परियोजना 5. विश्वविद्यालय प्रसारण परियोजना 6. भाषा अध्ययन कार्यक्रम 7. हेलो फरमाइश 8. सखी–सहेली

प्रमुख एफ.एम. चैनल

एफ.एम. गोल्ड	प्रसार भारती
एम.ए. रेनबो	प्रसार भारती
रेडियो मिर्ची	टाइम्स समूह
रेडियो सिटी	स्टार समूह
गो. एफ.एम.	मिड डे समूह
बिग एफ.एम.	रिलायंस समूह
रेड एफ.एम	एम.डी.टी.वी. समूह
रेडियो टुडे	इंडिया टुडे समूह
रेडियो तड़का	पत्रिका समूह
माई एफ.एम.	भास्कर समूह
सूर्यन एफ.एम.	सन समूह

5. दूरदर्शन

दूरदर्शन विज्ञान का अनुपम उपहार है, इसने मानव जीवन में एक हलचल पैदा कर दी है और समाज को विकास की ओर अग्रसर किया है। अब हम विश्व भर की घटनाओं को अपने कमरे मैं बैठकर देख सकते हैं कहा भी गया है कि केवल सुनकर बात हृदयंगम नहीं होती। यदि वह दिखई दे तो सहजता से हमारे दिल और दिमाग में उतर जाती है, दूरदर्शन यह काम बखूबी करता है। समुद्र में जल–थल में व्याप्त तथा अन्य तथ्यों की जानकारी, अन्य देशों की संस्कृति धर्म तथा समकालीन गतिविधियों की जानकारी, यू.जी.सी. के कार्यक्रम के साथ उत्पादन के विज्ञापन भी लाभदायक है, जिससे व्यापार जगत को लाभ मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रसारण तथा खेती–बाड़ी की नई–नई विधियों की जानकारी कृषक जगत को लाभ देती है। वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबल विलेज बनाने के कार्य को भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम दूरदर्शन ने ही पूर्ण किया है। वास्तव में विज्ञान के चमत्कारों में दूरदर्शन एक सशक्त दृश्य माध्यम है, जिसने मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करने में सफलता पाई है। 1927 ई. में न्यूयॉर्क और वाशिगंटन के मध्य बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज

द्वारा तार के माध्यम से टीवी कार्यक्रम भेजा गया। धीरे–धीरे इसमें अनेक सुधार किये गये। फाइलों टेलर फर्न्सवर्थ को टीवी का आविष्कारक माना जाता है। 1964 ई. में भारत में टीवी की विकास–यात्रा प्रारंभ हुई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सम्बद्ध दूरदर्शन महानिदेशालय के लक्ष्य

1. सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका निभाना।
2. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना।
3. जन–सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना।
4. परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को प्रसारित करना।
5. कृषि–उत्पादन प्रोत्साहित कर–'हरित क्रांति' और पशु–पालन को बढ़ावा देकर 'श्वेत क्रांति' के क्षेत्र में प्रेरणा देना।
6. पर्यावरण–संतुलन बनाये रखना।
7. गरीब और निर्बल वर्गो हेतु सामाजिक कल्याण के उपायों पर बल देना।
8. खेल–कूद में रूचि बढ़ाना।
9. भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरूकता पैदा करना।

15 अगस्त 1982 में भारत में रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात हुआ। 1984–85 तक यह माध्यम सारे देश में घर–घर में पहुँच गया। इसकी प्रसारण–अवधि भी सारे देश में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में बढ़ गई। कुतुबमीनार से तीन गुना ऊँचा पीतमपुरा टीवी टॉवर का उद्घाटन 1988 को हुआ। इस प्रकार आज दूरदर्शन विभिन्न विषयों पर संगीत, नृत्यचर्चा, सामयिक प्रोग्राम, प्राथमिक एंव उच्च शिक्षा कार्यक्रम आदि नित्य प्रसारित करता हुआ लोगों को शिक्षित एवं मनोरंजन प्रदान कर रहा है।

renaissance
renaissance
renaissance

इकाई–4

1. चित्रपट या सिनेमा

भारत में चित्रपट की शुरूआत अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैड के पश्चात् हुई है। सबसे पहली गतिशील फिल्म 'ल्युमियारे' बंधुओं ने सन् 1885 में बनाई। दादासाहब फालके ने 1913 में 'राजा हरिशचन्द्र' नामक मूक फिल्म निर्मित की। यही से भारतीय फिल्म जगत का सिलसिला शुरू हुआ। अर्देशित ईरानी ने सन् 1931 में पहली सवाक् फिल्म बनाई। यह फिल्म 'आलमआरा' भारत की प्रथम संवाद फिल्म बनी। सन् 1931 में रंगीन फिल्म बनने लगी। इस प्रकार जगत का विकास तेजी से हुआ। आज भारत में फिल्म इंडस्ट्री विशाल पैमाने पर कार्य कर रही है। फिल्में रूपक और वृत्तचित्र के रूप में निर्मित होती है। रूपक फिल्मों में भी कलात्मक फिल्म और व्यावसायिक फिल्म का स्वरूप अलग–अलग रहता है। आज हिन्दी चित्रपट ने अपनी सुदीर्घ परंपरा के लगभग सौ वर्ष पूर्ण कर लिए है। नाटकों की तुलना में चित्रपटों का विकास अधिक तेज गति से हुआ और लोग तेजी से इसके प्रति आकृष्ट हुए तथा शीघ्रता से इस माध्यम को आत्मसात किया।

चित्रपट हमारे समाज का प्रतिबिम्ब माना जाता है समाज में घट रही घटनाओं की छवि दिखाने में चित्रपट अपनी महती भूमिका निभाता रहा है। चित्रपट जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है जो न सिर्फ हमारा मनोरंजन करता है बल्कि सामाजिक बुराईयों के प्रति भी हमें जागृत करता है। समाज में घट रही घटनाओं को कल्पना के सुन्दर ताने–बाने के साथ सुन्दर कथानक तैयार कर शांति और सद्भावन का संदेश देता है। चित्रपट के गीतों के माध्यम से भी हमारे अंतर्मन में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करता है। चित्रपट के माध्यम से व्यक्ति अपनी परेशानियों को भूलकर कुछ समय के लिए कल्पनालोक में विचरण भी कर लेता है जिससे उसे मानसिक शांति और थकान में राहत महसूस होती है और वह अपने आपकों तरो–ताजा महसूस करता है।

राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में चित्रपटों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारतीय सिनेमा ने राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने का हमेशा सफल प्रयास किया है। स्वाधीनता पूर्व तथा पश्चात राष्ट्रीय एकता पर बहुत–सी फिल्मों का निर्माण हुआ। इन फिल्मों के गीतों संवादों में समन्वय की भावना सर्वत्र मिलती है। अनगिनत कला साधकों ने राष्ट्रीय एकता की श्रृंखला को मजबूती प्रदान की है। समाज में घट रही घटनाओं को कल्पना के सुंदर ताने–बाने के साथ सुंदर कथानक तैयार कर शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। गीतकारों ने गीतों के माध्यम से, उनके अंतर्मन से उठी देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को धरती से आकाश तक अनुगूँजित किया । कुछ उदाहरण दृष्टव्य है 'ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी; जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। 'मेरे देश की धरती सोना उगले आदि भावों से भरे इन गीत गायकों ने प्रत्येक भाषा के उच्चारण एवं ध्वनियों को सीखकर अपनी अंतरात्मा से राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। हिन्दी भाषा के विकास में चित्रपट ने महती भूमिका निभाई है। सिने जगत के माध्यम से हिन्दी भाषा का प्रचार–प्रसार बड़ी तेजी से हुआ है। इससे हिन्दी भाषा दूरदराज के इलाकों में पहुँच पाई। फिल्मों के आकर्षण के कारण लोग हिन्दीं भाषा को आत्मसात् करने लगे और रोज के जीवन में व्यवहार में लाकर उसका उपयोग भी करने लगे। हिन्दी चित्रपटों के कितने ऐसे गीत है, कितनी गजलें है जिन्हें लोग अत्यंत शौक से सुनते है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी विशेष तौर पर हिन्दी गीत सुनते और गुनगनाते हैं। कुछ हिन्दी चित्रपट इतने लोकप्रिय हो जाते है। जिन्हें लोग अनेक बार देखते हैं। मदर इंडिया, मुगल–ए–आजम, पाकीजा, शोले, उपहार, जंजीर उमरावजान आदि और भी अनेक ऐसी ही फिल्में है। हिन्दी वर्ग उनकी लोकप्रियता को नकार नहीं सका। दिन–दिन चित्रपटों के माध्यम से वे हिन्दी के प्रति आकर्षित हुए। जनसंचार माध्यम में चित्रपट यानि सिनेमा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मनोरंजन का श्रेष्ठ साधन है। राष्ट्रभक्ति की भावना को चित्रपट के गीतों ने मजबूत किया है। बड़े पैमाने पर रोजगार देने का माध्यम भी है सिनेमा।

2. रंगमंच

नाटक और रंगमंच का अन्योन्याश्रित संबंध है। रंगमंच का संविलयन नाटक में ही है। नाटककार की कल्पना रंगमंच पर ही आकारित होती है। वेग के अनुसार'' I dream is not be read but it can be seen on stage'' नाटक पढ़े जाने का कोई अर्थ नहीं, उसका रंगमंच पर खेला जाना ओर देखा जाना महत्वपूर्ण है नाट्य शास्त्र के आदिप्रणेता आचार्य भरत मुनि थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के संबंध में विस्तृत वर्णन किया। नाटक को पॉचवा वेद भी कहा गया। इसमें नृत्य, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला आदि समस्त ललित कलाओं का समावेश होता है।

नाटक के मूल में सामाजिक मनोविनोद की उदार भावना अंतर्निहित थी। संस्कृत में रंगमंच की परिपक्वता तथा सुदृढ़ता पर नाटक या रंगमच के प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. अभिनेता 2. निर्देशक 3. नाटककार 4. दृश्य सज्जाकर 5. प्रकाश संयोजक 6. वाद्य एवं संगीत संयोजक 7. रूप सज्जाकार 8. दर्शक

नाटक के स्वरूप, उद्भव एवं विकास

नाटक शब्द नट् से बना है जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय। इसलिए नाटक का सम्बन्ध रंगमंच या अभिनेता से होता है। नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य हैं जिसमें सम्पूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता हैं शास्त्रीय परिभाषा में नाटक को रूपक कहा जाता है।

पारसी रंगमंच के उत्थान के साथ ही हिन्दी रंगमंच का उद्‌भव हुआ। ये पारसी नाटक मंडलियों व्यावसायिक थीं । हिन्दी को पारसी रंगमंच पर प्रवेश कराने का श्रेय भी इन्हीं को है। पारसी नाटक मण्डिलयों का लक्ष्य धनोपार्जन था। वे बाह्‌य सज्जा से आकर्षण उत्पन्न कर जनता का सस्ते ढंग से मनोविनोद कर वेशभूषा की चित्र–विचित्रता में रंगे रहते थे। हिन्दी भाषा में सबसे पहले खेला गया नाटक 'जानकी मंगल' था जो बनारस थियेटर में बड़ी धूमधाम से खेला गया। भारतेन्दु नाटक मण्डली और काशी नगरी नाटक मण्डली ने वाराणसी में अपने पृथक रंगमंचों का निर्माण किया।

भारतेन्दु के पश्चात् रंगमंच के लेखक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी, जमनादास मेहरा, दुर्गादास गुप्त, शिवरामदास गुप्त आदि प्रसिद्ध हुए। हिन्दी नाटको में जयशंकर प्रसाद का अवतरण युगान्तकारी घटना मानी गई। प्रसाद के नाटकों के विषय में यह माना गया कि पढ़ा–लिखा तबका ही इन नाटकों को समझ सकता है। यह हिन्दी नाटकों के विकास का दूसरा युग है। भारतीय नाट्‌य रंगमंच को नवीन बौद्धिकता प्रसाद युग में मिली। इस युग के नाटककारों में सेठ गोविंददास, शंभूदयाल सक्सेना गोविन्दवल्लभ पंत, जे.पी. श्रीवास्तव, पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्‌ट आदि नाटककारों को गिना सकते है।

नाटकों के विकास का तीसरा युग हरिकृष्ण 'प्रेमी' के राष्ट्रीय एवं मचीय नाटकों से प्रांरभ होता है। प्रसाद के बाद राष्ट्रीय चेतना सर्वाधिक 'प्रेमाजी' के नाटकों में ही थी। अभिनय की दृष्टि से इनके नाटक सफलतापूर्वक मंचित हुए। इनके समकालीन नाटककार हैं – डॉ. रामकुमार वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', उपेन्द्रनाथ, 'अश्क' वृन्दावनलाल वर्मा आदि। नाटकों का चौथा युग प्रारम्भ होता है डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल, श्री मोहन राकेश, श्री जगदीशचन्द्र माथुर अदि के नाटकों से। इस युग में डॉ. लाल तथा मोहन राकेश, श्री ने अच्छी ख्याति अर्जित की। प्रसाद और प्रेमी युग के नाटक के बाद डॉ.लाल के नाटकों ने राष्ट्रीय धारा को व्यवस्था विरोध की ओर मोड़कर एक नया आयाम दिया है। इस काल के नाटककारों में मणि मधुकर, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, हमीदुल्ला जमाल, निर्मल कुमार, डॉ. देवराज पथिक, सुशील कुमार सिंह, रमेश व इन्द्रजीत भाटिया का नाम उल्लेखनीय है। नाटकों की प्रगति जो स्वतंत्रता पूर्व देखने मिलती है, वह वर्तमान में अवश्य धीमी पड़ गई। सिनेमा के बढ़ते प्रभाव ने नाटकों को अवश्य क्षति पहुँचाई है। फिर भी वर्तमान नाट्‌य साहित्य सांस्कृतिक युग निर्माण की ओर अग्रसर है।

3. संगीत

संगीत को सभी ललित कलाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल में संगीत के दो रूप प्रचलित थे। 1. मार्गी 2. देशी ।

मार्गी संगीत लुप्त हो गया। देशी संगीत परम्परा ही अपने विभिन्न रूपों में आज तक भारतीय, संगीत कला की पहचान बना हुआ है। देशी संगीत के दो भेद हैं–

1. शास्त्रीय संगीत– संगीत के नियमों पर आधारित शास्त्रीय संगीत में छः मौलिक राग है, शेष रागनियॉ है। शास्त्रीय संगीत के छः मौलिक राग निम्नुसार है–

    1. भैरव राग
    2. कौशिक राग
    3. हिडोल राग
    4. दीपक राग
    5. श्री राग
    6. मेघ राग

सप्तक– शास्त्रीय संगीत में सरगम का बड़ा महत्व है। सरगम में सात स्वर होते हैं– षडज, रिषम, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। संक्षेप में इन्हें सा.रे.ग.म.प.ध.नी. अथवा सप्तक कहा जाता है।

1. कर्नाटक शैली– यह अत्यंत प्राचीन शैली है। यह शैली पुरंदरदास से प्रारम्भ होती है।

2. हिन्दुस्तानी शैली– 'ध्रुपद' हिन्दुस्तानी शैली की सबसे प्राचीन रचना है। इस शैली के जन्मदाता 'स्वामी हरिदास' को माना जाता है। इनकी परम्परा को इनके शिष्य 'तानसेन' ने आगे बढाया बाद में ध्रुपर के अंतर्गत ख्याल, ठूमरी, टप्पा, तराना आदि शैलियॉ शामिल हो गई। विष्णु रामायण भातखंडे, विष्णु दिगम्बर, पुलस्कर, फैय्या खॉ, बड़े गुलाम अली, लता मंगेशकर कुमार गंधर्व आदि का इस शैली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है।

2. ध्रुपद– ध्रुपद की शुरूआत पन्द्रहवी–सोलहवीं शताब्दी में हुई। यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध हिन्दुतानी संगीत है। इस शैली के सर्वप्रथम गायक गोपाल नायक जिन्होने भीम पलासी राग एवं सूरतालबद्ध में गाया था। ध्रुपद के चार खण्ड हैं– स्थायी, अंतरा संचारी तथा आभोग। ध्रुपद गायन की विभिन्न शैलियों को 'बानगी' कहते है।

3. **ख्याल**– हिन्दुस्तानी संगीत की सबेसे लोकप्रिय शैली ख्याल को माना जाता है। ख्याल की भाषा उत्तरी भारत में ब्रज, राजस्थायी, पंजाबी या हिन्दी होती है। ख्याल गायन की चार शैलियॉ ख्याल को माना जाता है। ख्याल की भाषा उत्तरी भारत में और पटियाला घराना।

4. **धमार**– इस संगीत की विषय वस्तु का सम्बन्ध होली से है। इस गायन के साथ संगति पखावज पर की जाती है। इस संगीत की उद्देश्य गंभीरता को खत्म कर सरसता, श्रृंगरिकता द्वारा मन को रंगीनियों से भर देना है।
5. **ठुमरी**– मूलतः नृत्य गीत है, जिसमें शास्त्रीय एवं लोग संगीत के तत्व विद्यमान होते है। शास्त्रीत संगीत के साथ लोक संगीत के कारण ठुमरी को उप–शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। ठुमरी के तीन घराने या शैलियॉ हैं।
1. पूर्वी शैली 2. पंजाबी शैली 3. पछाहीं शैली

भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार –

चंडीदास– चंडीदास प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव के समकालीन थे। इनका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है।

अमीर खुसरों – अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गॉव में हुआ था। इन्होंने भारतीय संगीत को फारसी एवं ईरानी संगीत के संपर्क में लाने में सफलता हासिल की।

स्वामी हरिदास– इनका काल 15 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में माना जाता है। इनकी प्रारम्भिक रचनाओं में 118 ध्रुवपद, पदों का उल्लेख है। इनमें 18 सिद्धान्त के पद तथा 110 केलिमान के नाम से प्रसिद्ध है।

बैजू बावरा– बैजू बाबरा का जन्म सन् 1450 में गुजरात राज्य में हुआ था। 'मंगलगूजरी' तथा 'गूजरी टोड़ी' रागों का अविष्कार बैजू बावरा ने ही किया था।

तानसेन– संगीत सम्राट तानसेन का जम्न 1506 ई. में ग्वालियर के समीप बेहलगॉव में हुआ था। ये मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे।

सदारंग या नेमत खॉं– भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण आचार्य सदारंग ने मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा मोहम्मद शाह रंगीले के शासन काल तक संगीत साधना की तथा ध्रुपद को परिवर्तित करते हुए ख्याल गायन की रचना की।

ध्यागराज– ध्यागराज का जन्म 1767 ई. में हुआ था। कर्नाटक संगीत के परंपरित में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय ध्यानराज को जाता है।

रहीम सेन– **1733** ई. जन्म रहीम सेन प्रसिद्ध सितार वादकद्ध का सम्बन्ध सोनिया घराने से था। इनके संगीत में भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही ध्रुपद वीणा एंव ख्याल का समन्वय पाया जाता है।

4. चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, कला

भारतीय कला –

''मानवीय भावों एवं प्राकृतिक उपादानों का मूर्तिमान रूप ही कला है।'' कलात्मक चेतना का उद्भव मनुष्य के उद्भव के साथ ही संबद्ध है।

कला के निम्नलिखित रूप हैं –

1. भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला
2. भारतीय मूर्तिकला
3. भारतीय चित्रकला
4. भारत में हस्तशिल्प कला।

भारत में हस्तशिल्प कला

भारत में हस्तशिल्प कला का उद्भव सिन्धु घाटी की सभ्यता से ही माना जाता है। हस्तशिल्प कला भारत की प्राचीनतम कला है। यह कला पहले गॉवों तक सीमित थी। किंतु वर्तमान समय में मीडिया के प्रोत्साहन ने इस कला को सभी क्षेत्रों तक पहुॅचाया।

हस्तशिल्प कला के प्रकार

1. मृणलय (मिट्टी के बर्तन)
2. काष्ठकला
3. हाथी दांत कला
4. प्रस्तर कला
5. धातु कला
6. वस्त्र एवं रंगाई कला
7. जड़ाऊ कार्य
8. आभूषण

चित्रकला– भोपाल के पास भीमबेटमा के प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों तथा पहाड़ियों पर बने रेखांकनों की खोज ने मध्यप्रदेश की चित्रकला को आदिम युग से जोड दिया है मध्यप्रदेश के मन्दिरों और महलों में बने सुन्दर चित्रों मे प्राचीन चित्रकला के रूप देखे जा सकते है। बाघ की गुफाओं में बने अत्यन्त समृद्ध चित्र अजन्ता से होड लेते प्रतीत होते है। अंग्रेजों के जमाने में मराठों के संरक्षण में ग्वालियर, मन्दसौर उज्जैन आदि में हवेलियों, महलों, मन्दिरों आदि में हुए रेखांकन तैल चित्र आदि प्राचीन चित्रकला के वैभव को प्रकट करते है। वर्तमान शैली में चित्रकला के नव उत्थान का श्रेय दत्तात्रय दामोदर देवलालीकर को है जो स्वयं उच्चकोटि के चित्रकार थे।
उन्होने चित्रकारी में अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को शिक्षित और प्रोत्साहित किया। इनमें हुसैन, बेन्द्रे देवयानी कृष्ण आदि विश्व विख्यात हुए है

मूर्तिकलाः–
मन्दिरो में बनी असंख्य मूर्तिया मध्यप्रदेश की मूर्तिकला परम्परा के गौरवपूर्ण प्रमाण है। प्रदेश भर में संग्रहालयों में विभिन्न कालों की मूर्तियों संग्रहित है उनसे पता चलता है कि मध्यप्रदेश की मूर्तिकला का कितना लम्बा इतिहास है। आधुनिक मूर्तिकला के क्षेत्र में अण्णासाहेब फडके और नागेश यावलकर की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फडके का धार में स्थित स्टूडियों और देश भर में लगी उनकी मूर्तियॉ उनकी अद्भूत कला–साधना ओर अमूर्त शिल्प शैलियों को सतत् समृद्ध करते हुए मूर्तिकला उनकी अद्भूत कला–साधना की मुँहबोली कहानी है। मूर्तिकारों की यह परम्परा आज भी निरन्तर विकसित होती रहकर पारम्पारिक मूर्तिकला ओर अमूर्त शिल्प शैलियों को सतत् समृद्ध करते हुए मूर्तिकला को नई भंगिमा और अर्थ देने में लगी है।

5. **शिल्प–कला**

लोकचित्रः– मालवा के चित्रावण और मॉडने लोक चित्रकला में बडी जगह रखते है यह ऐसी कला है जिसमें हर घर की स्त्रियॉ दक्ष होती है सॅजा, नाग, यममाता, दशहरा, गोरधन, पिथौरा, आदि पारम्परिक लोकचित्र है। मन्दिरों और घरों में विवाहों में सामाजिक, धार्मिक, विषयों तथा देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते है, इन्हें चित्रावण कहा जाता है। मॉडने रेखांकन होते है जो त्यौहारों और उत्सवों में घर घर बनाए जाते है। ये चित्र गोबर, मिट्टी गेरू, फूल आदि अनेकानेक साधनों से बनाए जाते है।

6. **बॉसशिल्पः**– श्योपुर कलॉ में खराद शिल्प द्वारा दैनिक उपयोग की चीजें बनाई जाती है। रीवा में सुपारी के शिल्प प्रसिद्ध है।
7. **धातुकलाः**– धातु की ढलाई द्वारा कलाकृतियॉ और वस्तुएँ निर्मित करने में टीकमगढ़ बैतूल, होंशगाबाद, रायगढ़ आदि प्रसिद्ध है।
8. **मिट्टी शिल्पः**– छीपा शिल्प में भील आदिवासी लोगों के जातीय प्रतीक छापे जाते है उज्जैन के पास भेरूगढ़ में छापा कला अत्यन्त सुरम्य रूपों में दिखाई देती है। इसमें अनेक रूपाकार और डिजाइनें होती है। बैगा, कोरकू मारिया, गोंड, भील, सहरिया आदि जनजातियों में शरीर पर कलात्मक चित्रकारी की जाती है। इसे गुदना कहते है। अपने शरीर पर कलाओं को गोद लेने से बडा कला प्रेम क्या होता है।

इकाई–5

1. कम्प्यूटर का परिचय

वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। कम्प्यूटर वैज्ञानिक अविष्कारों की श्रृंखला का अद्भुत रत्न है। सन् 1982 में टाइम मैग्जीन द्वारा इसकी 'Machine of the Year' उपाधि दी गई।

आधुनिक कम्प्यूटर के अविष्कार का श्रेय इंग्लैण्ड के **''चार्ल्स बैवेज''** को जाता है। वह बहुत ही कुशल गणितज्ञ थे। उन्होंने यह कार्य 1833 ई. में सम्पन्न किया। कम्प्यूटर की लोकप्रियता एवं दूरगामी परिणामों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी सन् 1965 ई. में इसका आयात किया।

आज जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर का उपयोग देखा जा सकता है। कम्प्यूटर की उपयोगिता की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगा सकते है कि आज जो व्यक्ति कम्प्यूटर के नाम से अनभिज्ञ, है, उसका वास्ता भी दैनिक जीवन में कम्प्यूटर से बनी वस्तुओं से पड़ता है।

वस्तुतः कम्प्यूटर सभ्य युग की हर क्षेत्र में सेवा कर रहे है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस युग में इसकी सेवा से जा मानव सभ्यता से कहॉ दूर घने जंगलों में अथवा गुफाओं में रह रहे है।

कम्प्यूटर का उपयोग

1-	वैज्ञानिक अनुसंधान	(Scientific Research)
2-	औद्योगिक उपयोग	(Industrial Uses)
3-	व्यापारिक उपयोग	(business Uses)
4-	अन्तरिक्ष तकनीकी	(Space Technology)
5-	पर्यावरण सम्बन्धी उपयोग	(Environmental Uses)
6-	संचार व्यवस्था	(Communication System)
7-	शैक्षणिक क्षेत्र	(Educational field)
8-	पुस्तकालयों हेतु उपयोग	(Useful for Libraries)
9-	आयुर्विज्ञान में कम्प्यूटर	(Computer in Medicine)
10-	कम्प्यूटर और यंत्र	(Machine)
11-	कम्प्यूटर और यातायात	(Computer in Traffic)
12-	बैंकों में कम्प्यूटर	(computer In Bank)
13-	कम्प्यूटर और वर्डप्रोसेसर	(Computr & Word Possesor)
14-	कम्प्यूटर और मनोरंजन	(Computer & Word Entertaiment)
15-	कम्प्यूटर और पुलिस	(Computer & Police)
16-	सरकारी कार्य और कम्प्यूटर	(Government Work & Computer)
17-	ज्योतिष और कम्प्यूटर	(Astronomy)
18-	ई–मेल	(E-mail)
19-	खगोलशास्त्र	(Estrology)
20-	इंजीनियरिंग डिजायन	(Engineering Design)
21-	मौसम विज्ञान	(Metrology)
22-	रेल्वे आरक्षण	(Railway Reservation)
23-	कम्प्यूटर और अनुवाद	(Computer & Translation)
24-	कम्प्यूटर और संगीत	(Computer & Music)
25-	कम्प्यूटर और फोटोग्राफी	(computer & Photography)

कम्प्यूटर का विकास क्रम

3000 B.C.	एबेकस	ABACUS
1600	अरबी गणित	Arabic Math
1614	जॉन नेपियर की लॉग टेबिल	Logarithim by John Napier
1822	चार्ल्स बैबेज का डिफरेन्शियल इंजिन	Differential Engine Charles Babbage
1850	जार्ज बुले द्वारा बुलियन लॉजिक का विकास	Development of Boolean Logic by George Boole
1872	फ्रेंकवाल्डविन द्वारा केलकुलेटर का अविष्कार	Invention of Calculator by Frank Boldwin
1890	हर्मन होलेरिथ द्वारा पंचकार्ड का विकास	Development of Punch card by Herman
1942	बेनेवर बुश द्वारा एनलॉग कम्प्यूटर का विकास	Development of First Digital Computer Anlog Computer by Venever Bush
1950	टूरिंग द्वारा आटोमेटिक कम्प्यूटिंग इंजिन का विकास जो प्रथम डिजीटल कम्प्यूटर था।	Development of First digital Computer by Turring

1975	एडवर्ड राबर्ट्स द्वारा माइक्रोकम्प्यूटर की रचना	Design of Micro Computer by Edward Roberts
1976	CRAY -1 सुपर कम्प्यूटर का विकास	Development of Apple Mircro Computer
1980 IBM	द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कम्प्यूटर्स का उपयोग	Production of Personal Computer by IBM

कम्प्यूटर पीढ़ियाँ

अबेकस से शुरू कम्प्यूटर की विकास यात्रा कई चरणों से गुजरते हुए वर्तमान डिजीटल कम्प्यूटर तक पहुँची। 1946 में विकसित ENIAC (Electronic Numerical Intergrator and Calculator) को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर कहा जा सकता है। इसके बाद Edvac Edsac आदि पर Vacuum Tube आधारित कम्प्यूटर्स आये। इसके बाद ट्रांजिस्टर इंटिग्रेटेड सर्किट LSI & VLS सर्किट पर आधारित कम्प्यूटर्स विकसित होते गए। समय के साथ–साथ कम्प्यूटर्स की प्रोसेसिंग एवं संग्रहण क्षमता में वृद्वि होती गई तथा आकार एवं कीमतों में कमी होती गई सन् 1950 तक कम्प्यूटर्स का उपयोग सेना इंजीनियरिंग एवं विज्ञान के क्षेत्रों तक ही सीमित था। सन् 1950 के बाद इसका व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयोग होना शुरू हुआ तथा 1995 के बाद तो उसका उपयोग घरेलू कार्यो तक में होने लगा है। कम्प्यूटर के इसी विकास क्रम को पाँच पीढ़िया के अर्न्तगत रखा गया है।

कम्प्यूटर मस्तिष्क : ज्ञान का नया रूप–

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए सूचना एवं दूरसंचार क्रांन्ति ने सम्पूर्ण वैश्विक समाज को मीडिया समाज में बदलकर रख दिया है। पिछले 40–50 वर्षो में कम्प्यूटर वैद्युत मस्तिष्क ने नई भाषा के माध्यम से वैश्विक चेतना को नई शक्ल में उपस्थित किया है।

इस क्रांन्ति से ज्ञान के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है वह अब पूर्णतः व्यावसायिक शक्तियों के संरक्षण में आ गया है। ज्ञान अब व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, मण्डी का माल है, जिसकी खरीद–फरोख्त संभव है। पहले ज्ञानार्जन हेतु जीवन खपाये जाते थे। अब ज्ञान का मण्डी की वस्तुओं के साथ थोक उत्पादन हो रहा है और साबुन एवं टूथपेस्ट के समान वह भी बिकाऊ माल है।

ज्ञान जो पहले मानवीय मस्तिष्क को अलोकित करने या व्यक्तित्व को बनाने के लिए प्राप्त किया जाता था उसकी भूमिका सिर्फ इतनी रह गई है कि उससे लाभार्जन किया जा सके या उसे शक्ति हथियार स्वरूप जो प्रयोग में लाया जा सके।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये सूचना प्रौद्यागिकी ने विश्व को एक नए प्रकार किया है जिसे वैश्विक चेतना की एक महत्वपूर्ण कड़ी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। समाचार लेखन एवं पत्रकारिता के अतिरिक्त सूचना प्रौद्यागिकी का इस्तेमाल फोटो पत्रकारिता, डॉट कॉम कम्पनियाँ, कन्वरजेंस, डी.टी.एच. सेवाएँ आदि क्षेत्रों में बहुतायात से हो रही है। सूचना क्रान्ति ने सारी दुनिया का एक सामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया है। सरकारी, गैर सरकारी, वाणिज्यक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में सूचना क्रांति के कारण कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगला विश्वयुद्ध कदाचित् सूचनाओं के आदान–प्रदान को लेकर ही हो। इस सूचना क्रांन्ति ने वैश्विक परिदृश्य पर एक तरफ जहाँ पारदर्शिता लाने का सफल प्रयास किया है वहीं दूसरी तरफ बल प्रदर्शन, खुली प्रतियोगिताएँ एवं लोगों के बीच कटुता का भाव भी व्यक्त होता जा रहा है।

पहले इस सूचना तकनीक के कारण रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और दूरसंचार के क्षेत्र प्रमाणित हुए। कम्प्यूटर के प्रयोग का जनाधार बढने पर ई–मेल, इंटरनेट और बेब का उपयोग बढ़ गया, जिसमें संचार के नए रूप सामने आए है। कम्प्यूटर ने रेडियों टेलीविजन और फिल्म के कार्यक्रम निर्माण और प्रस्तुति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है जिसके कारण इन संसाधनों में मौलिकता एवं एक नए किस्म की नवीनता आ गई है। इस प्रकार सूचना, ज्ञान और मनोरंजन के क्षेत्र में वैश्विक अनुभव और चेतना में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

इन्टरनेट

इन्टरनेट नेटवर्को का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह कम्प्यूटरों पर संग्रहित सूचना को विश्व भर में वितरित करने तथा दूरस्थ स्थित विभिन्न कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य सूचनाओं के आदान–प्रदान का साधन है। इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर नवीनतम जानकारी बिना किसी विलम्ब एवं बहुत आसानी से घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। इस पर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का स्वामित्व नहीं है।

अमेरिका में National Science Foundation (NSF) नामक समूह इन्टरनेट के प्रभावी एवं सुचारू निष्पादन (Performance) को देखता है। इसकी सहायता (Internet Engineering Task Force) समिति द्वारा की जाती है। इसी प्रकार के अन्य कई समूह भी इसके रखरखाव की देखभाल करते हैं। इन्टरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ संस्थाओं को लाइसेंस दिए जाते हैं। ये संस्थाएँ उस देश के उपयोगकर्ताओं को इन्टरनेट से जोड़ती है। ये संस्थाएँ भी इन्टरनेट पर मालिकना हक नहीं रखतीं अपितु केवल सर्वर और सूटर के स्वामी होते है। इन संस्थाओं को इन्टरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है।

ई–मेल

ई–मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्प्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध डाक व्यवस्था हैं इन्टरनेट में विभिन्न कम्प्यूटर एक–दूसरे से जुड़े रहते है। अतः इनके मध्य संदेश प्रेषित एवं प्राप्त किए जा सकते है। यह संप्रेषण के सबसे तीव्र एवं सुविधाजनक माध्यमों में से एक है।

इन्टरनेट रिल–चैट
इन्टरनेट की सहायता से एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत भी हो सकती है। इस प्रकार एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर ऑनलाइन संवाद को इन्टरनेट रिले–चैट कहा जाता है।

वेबकेम
वेबकेम कम्प्यूटर की अन्य सामग्री की तरह एक छोटा–सा यंत्र होता है, जो कैमरे की तरह आपकी सजीव तस्वीर को डिजीटल फार्म में रूप कम्प्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता है।

नेटमीटिंग
नेटमीटिंग की सहायता से विश्व में भिन्न–भिन्न स्थानों पर कार्यरत कम्प्यूटर उपयोगकर्ता एक–दूसरे के साथ बातचीत एवं डाटा शेयर करते हुए कार्य करते है।

2. दूरभाषः विज्ञान की सौगात
भारत में टेलीफोन की शुरूआत सन् 1881–82 ई. में कोलकाता में हुई। 700 लाइनों की क्षमता वाला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913–14 में शिमला में चालू किया गया।
भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण टीआरपीआई की स्थापना 1997 में हुई।
दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम निम्नलिखित हैं

1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)
3. विदेश संचार निगम लिमिटेड (बी.एन.एन.एल.)
4. इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई.)
5. टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.)

टेलीग्राफ – टेलीग्राम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक सैम्युअल मोर्स ने सन् 1837 ई0 में किया था। यह संदेश भेजने की ऐसी प्रणाली है जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे **'तारयंत्र'** भी कहते है।

टेलेक्स– टेलेक्स द्वारा संदेश टंकित होकर तार अथवा रेडियों तरंगों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यह संदेश को दूरस्थ स्थान पर भेजने का एक प्रचलित तरीका है, जिसे टेलीप्रिन्टर, टेलीग्राफ और टेलीफोन का मिश्रित रूप भी कहा जा सकता है। पत्र–पत्रिकाओं के कार्यालयो तथा व्यापारिक संगठनों में टेलेक्स का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर स्थान तक संदेश भेजने के लिए एक कारगर आधुनिक तरीका है।
फैक्स या फैक्सीमाइल– सूचना तकनीकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में फैक्स को दूरभाष से संबद्ध किया जाता है। इसके माध्यम से हस्तलिखित अथवा मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यह संदेश वांछित प्राप्तकर्ता को छाया प्रति के रूप में प्राप्त हो जाना है। यह प्रणाली अत्यन्त शीघ्रता एवं कम लागत के लिए प्रसिद्ध है।

वीडियों फोन– इसे फोटो फोन भी कहते है। इसमें एक कैमरा टी.वी. स्क्रीन सेट होता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अति व्यस्त लोगों के लिए अधिक लाभप्रद है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फेन्सों को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सकता है। अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों अथवा प्रतिभागियों को वीडियों फोन से जोड़ करके उनमें सामूहिक बातचीत अथवा विचार–विमर्श करवाया जा सकता हैं।

रेडियों पेजिंग– दूरभाष से सम्बद्ध यह अत्यंत आधुनिक प्रणाली है। हर वक्त ऑनलाइन बने रहने के लिये यह रास्ता और सुलभ साधन है। ऑफिस में एक जग बैठकर काम न करने वाले फील्ड के लोगों से संपर्क करने का एकमात्र माध्यम पेजर ही है। आपका संदेश अभीष्ट व्यक्ति के पेजर स्क्रीन पर अंकित हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति तुरंत टेलीफोन द्वारा आपसे सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

मोबाइल फोन के उपयोग में सिमकार्ड मोइक्रोचिप की आवश्यकता होती है, जिसे ग्राहक पहचान मापदंड कहा जाता है। लगभग एक डाक टिकट के आकार का सिमकार्ड सामान्यतः बैटरी के नीचे यूनिट के पीछे रखा जाता है। इसके सक्रिय होने पर फोन का विन्यास एवं डेटा संग्रह का कार्य करता है।

मंत्र (कहानी) –प्रेमचंद

मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचन्द्र जी द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र जी ने डॉ. चड्डा की कर्तव्यविमुखता को दर्शाया है। इस मर्मस्पर्शी कहानी में भगत नाम के बूढ़े की मनःस्थिति का चित्रण किया है।

भगत नाम का एक बूढ़ा लाचार व्यक्ति अपने सातवर्षीय पुत्र के उपचार हेतु जब डॉ. चड्डा के पास लेकर जाता है तो डॉ. चड्डा उसे इलाज करने के लिए मना करता है क्योंकि डॉ. चड्डा गोल्फ खेलने जा रहा था। बदकिस्मती से उसी रात बूढ़े भगत बेटे की मृत्यु हो जाती है और वह पुत्र वियोग की ज्वाला में जल जाता है।

धीरे–धीरे समय बीतता जाता है और इधर डॉ. चड्डा का इकलौता पुत्र कैलाशनाथ 20 वर्ष का हो जाता है। कैलाशनाथ को बचपन से ही साँपों को नचाने, पालने और खिलौने में बहुत दिलचस्पी थी। अपनी इस आदत पर वह हजारों रूपयें खर्च कर चुका था। जब वह अपनी बीसवीं वर्षगाँठ के आयोजन में प्रेमिका के आग्रह से साँप का खेल दिखाना शुरू करता है तो दुर्भाग्यवश उसे **गेंहूवन** सांप डस लेता है। डॉ. चड्डा अपने इकलौते बेटे के उपचार हेतु नीम, हकीम, वैद्य आदि सभी को बुलाकर जहर उतारने के यथा संभव प्रयास करते है लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लगती। यह बात बूढ़े भगत के कानों तक पहुँचती है। एक पिता की दृष्टि से वह ड़ॉ. चड्डा की दयनीय स्थिति को जानकर प्रसन्न होता है लेकिन मानवता और कर्म से परिपूर्ण भावना उसकी इस मनोवृत्ति पर लगाम लगा देती है। वह अपने आप को रोक नही पाता है और तुरन्त डॉ. चड्डा के पुत्र का उपचार करने पहुँच जाता है। बूढ़े भगत के फूँके गये मंत्र और जड़ी के उपचार से कैलाशनाथ जीवित हो उठता है चारों ओर प्रसन्नता आ जाती है।

डॉ. चड्डा को जब यह ज्ञात होता है कि यह वही बूढ़ा भगत है जिसके पुत्र का इलाज करने से इंकार किया था और आज वही उसके लिए भगवान का रूप लिए आया है। डॉ. चड्डा आत्मग्लानि से भर गया और बूढ़े भगत के पैर में गिरकर माफी माँगता है। इस प्रकार यह कहानी भगत की महानता का एक आदर्श प्रस्तुत करती है फलस्वरूप डॉ. चड्डा भी अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाता है।

मातृभूमि (कविता)–मैथिलीशरण गुप्त

मातृभूमि कविता राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित राष्ट्रीय कविता है। देशप्रेम से समर्पित राष्ट्रीय कवि गुप्त जी ने अनेक उपादानों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करते कहा है कि हे मातृभूमि! आपका हरा आवरण और उस पर नीले रंग का आकाशरूपी परिधान अति सुन्दर लग रहा है। सूर्य और चन्द्रमा मुकुट की भाँति शेषनाग फल सिंहासन की भाँति प्रतीत हो रहा है। समुद्र और नदियों का जल प्रेम के प्रवाह को व्यक्त कर रहा है। हे मातृभूमि समुद्र भी आपका अभिषेक कर रहा है। कवि मातृभूमि के इस रूप के प्रति नतमस्तक हो रहे है। कवि ने मातृभूमि को जीवनाधार की उपमा दी है क्योंकि मातृभूमि ही हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी वस्तुएँ अन्न, जल आदि प्रदान करती है।

कवि मातृभूमि के उपदानों के सन्दर्भ में कहते है कि है मातृभूमि तूने हमें जीवन का हर सुख सहर्ष ही प्रदान किया है तेरा यह उपकार हम कभी नही चुका सकेगें । हमारी यह नश्वर देह भी तुझसे बनी है, जो एक दिन तुझमें ही मिल जाएगी अर्थात् अन्त समय में हमें तेरा सानिध्य प्राप्त होगा।

कवि मातृभूमि के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बताते हुए कहते है कि हे मातृभूमि! तू क्षमा करने वाली, दयालु, अमृतमयी, ममता व करूणा की प्रतिमूर्ति, सुख देने वाली, दुखों का नाश करने वाली, सम्पूर्ण विश्व का पालन–पोषण करने वाली है। हम सभी तेरी संतान है। तू ही हमारी माँ है, तुझ में ही हमारे प्राण है।

हम तेरी कीर्ति की गाथाएँ यू ही गाते रहें और तेरे चरणों में अपना शीश झुकाते रहें यही कामना है।

5. साहित्यकार का दायित्व डॉ.प्रेम भारती :– साहित्य और समाज का गहरा सम्बन्ध है। साहित्य उसे कहते है, जिसमें समाज का हित समाहित हो। साहित्य ही समाज के दायित्व को निभाता है तथा समाज में मानवीय आस्था स्थापित करता है। समाज में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन साहित्य के ही माध्यम से समाज में फैलता है। डॉ. प्रेम भारती के अनुसार आज एक ऐसी साहित्यिक चेतना की आवश्यकता है, जो चिंतन की धूप की छांट सके तथा समाज को एक नयी दिशा दे सके। इसके लिए साहित्यकारों को मानव मन के अतःकरण को शुद्धता से भरने हेतु रचनाएँ लिखना चाहिए।